हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 मार्च, 1980

खंड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 3 मार्च, 1980

पृश्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाशण(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1

भाोक प्रस्ताव	(1)13
अध्यक्ष द्वारा घोशणा– 1. सदस्यों (राव बिरेन्द्र सिंह तथा चौधरी देवीलाल द्वारा त्यागपत्र) 2. पैनल आफ चेयरमैन 3. कमेटी आन पैटी ांज	(1) 30 (1) 31 (1) 31
सचिव द्वारा घोशणा– 1. राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों संबंधी 2. संविधान (पैंतालिसवॉ सं ाोधन) विधेयक 1980, के अनुसमर्थन दस्तावेजों संबंधी	(1) 31 (1) 32
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1) 32
सदन की मेज पर रखें गए कागज–पत्र	(1) 37
सदन की मेज पर पुनः रखे गए कागज–पत्र	(1) 39

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 3 मार्च, 1980

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 15:13 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव सिंह) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाशण

(सदन में मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोफिसर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूलज 18 के अनुसार मैंने यह सूचना देनी है कि कांस्टीच्यु ान के आर्टिकल 176(1) के अनुसार राज्यपाल महोदय ने आज 3 मार्च, 1980 को 2. 00 बजे बाद दोपहर, हरियाणा विधान सभा के सामने एड्रैस देने की कृपा की। एड्रैस की एक कापी आन दी टेबल आफ दी हाउस रखी जाती है।

''स्पीकर महोदय तथा आदरणीय सदस्यगण, हरियाणा विधान सभा के इस वर्श के पहले सत्र में आप सब का स्वागत करते है मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हरियाणा के राज्य के राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के भीघ्र बाद ही मुझे इस

गरिमामय सदन को सम्बोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि मेरे लिए सम्मान तथा सौभाग्य का विशय है।

दे ा में हाल ही में हुए मध्यावधि चुनाव के बाद मैं इस सदन को सम्बोधित कर रहा हूं। व्यवस्थित तथा भाांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हुए चुनावों द्वारा केंद्रीय सरकार में परिवर्तन आया है। लोकतांत्रिक ढ़ंग से केंद्र में नई सरकार की स्थापना से दे ा में राजनीतिक पटल पर अपूर्व परिवर्तन हुआ है। इससे वस्तुतः हमारे लोकतांत्रिक ढ़ांचें की भाक्ति प्रद ि ात होती है। इस परिवर्तन का केन्द्र तथा राज्य सरकारों की आर्थिक तथा अन्य नीतियों पर संजीव प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है और हमारी यह आ ाा है कि राश्ट्र के सामाजिक–आर्थिक जीवन में नई चेतना का आभास होगा।

दे ा की अर्थ–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अन्य कारकों के अतिरिक्त दे ा के विस्तृत क्षेत्रों में भारी सूखा पड़ा, जिसने हमारे राज्य मैं भी तबाही मचाई। अत्याधिक सूखे की परिस्थितियों के कारण हमारे राज्य में अकेली खरीफ, 1979 की फसल के दौरान ही कृशि उत्पादन में लगभग 165 करोड़ रूपए की हानि हुई। गत वर्श मार्च तथा अप्रैल के महीनों में विस्तृत क्षेत्रों में ओले पड़े, जिनसे राज्य मैं खड़ी फसलों को बड़ी हानि पहुंची। गत दो वर्शों में क्रमिक रूप से भारी बाढ़ों के प चात् इन विपदाओं के कारण हमारे राज्य के लोगों को सामान्य

रूप से तथा वि ोशतः किसानों को मुसीबत पर मुसीबत का सामना करना पड़ा।

जहां हरियाणा के वीर लोगों ने इन प्राकृतिक आपदाओं का बड़े साहस से सामना किया, मेरी सरकार ने ओलबारी तथा सूखे से पीड़ीत लोगों को तुरन्त सहायता प्रदान की। प्रभावित किसानों को ओलाबारी से हुई हानि की सीमा के अनुसार सहायता–अनुदान दिया गया। सूखे के कारण किसानों को हुई कठिनाई को कम करने के लिए फसलों को हुई हानि के आधार पर उनको भूमि–जोत कर तथा आबियाना में छूट दी गई। 'खरावा' सहन करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के लिए भूमि–जोत कर की वसूली रोक दी गई, तकावी ऋण की वसूली छः मास की अवधि के लिए आस्थगित कर दी गई और सहकारी ऋणों की वापसी के लिए एक नई अवधियां निर्धारित की गई। सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 20 रूपए प्रति क्विंटल की रियायती दर पर तकावी के रूप में चारे की सप्लाई की भी व्यवस्था की।

प्राकृतिक आपदाओं का दुश्प्रभाव ने केवल खड़ी फसलों पर ही पड़ा किन्तु अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर भी इनका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। वर्शा कम होने से बिजली की सप्लाई की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रयासों में अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा हैं। बिजली के अतिरिक्त कोयला, डीजल और मिट्टी का तेल जैसे ऊर्जा के अन्य साधनों की सप्लाई ऐसे

कारणों से कम रही जो राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर है, जिस से उत्पादन योजनबद्ध स्तर को बनाए रखने की समस्या और भी गम्भीर हो गई। फिर भी राज्य सरकार ने इन चुनौतियों का सामना दृढ़ नि चय से किया और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का निश्पादन इस ढ़ंग से किया जिससे प्रतिकूल कारणों का दुश्प्रभाव कम से कम हो सके।

जैसा कि आपको ज्ञात है मेरी सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य प्रयास कृशि का विकास करना और उत्पादन बढ़ाना, बिजली उत्पादन में वृद्धि और ग्राम योजक साड़कों और सड़क परिवहन की व्यवस्था से अर्थव्यवस्था के ढ़ांचे को सुदृढ़ करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को फैलाना तथा इसके इलावा जन–साधारण वि ोशतः सताम के कमजोर वर्गों के रहन–सहन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य, ि ाक्षा और अन्य सुविधाएं जुटाना है। इन उद्दे यों की प्राप्ति के लिए राज्य की 1978–83 की 1450 करोड़ रूपए के खर्च वाली पंचवर्शीय योजना स्वीकृत हो चुकी है। चालू वित वर्श के लिए 227 करोड़ रूपए का खर्च मंजूर किया गया जबकि पिछले वर्श को वार्शिक योजना 210 करोड़ रूपए की थी। योजना आयोग की स्वीकृति के लिए वित वर्श 1980–81 के लिए 240.50 करोड़ रूपए की अनन्तिम योजना तैयार की गई है।

गत वर्श इस गरिमामय सदन को सूचित किया गया था कि राज्य मैं बाढ़ के भय का बहिश्कार करने के लिए 138 करोड़

रूपए की एक महायोजना अनुमोदित की जा चुकी है और इसे निश्पादित करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें पहले ही चालू की जा चुकी है और चालू वित वर्श के दौरान इस सम्बन्ध में 20 करोड़ रूपए खर्च किए जाने की संभावना है। आगामी वित वर्श के लिए 16.90 करोड़ रूपए का उपबन्ध किया गया है। आ ाा है कि वार्शिक खर्च के इस स्तर से छटी पंचवर्शीय योजना के अन्त तक बाढ़ संकट समाप्त कर दिया जाएगा।

हरियाणा प्राथमिक रूप से कृशि–प्रधान राज्य है, इसलिए कृशि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सिंचाई के लिए जल को नि चत सप्लाई इस राज्य में कृशि को मुख्य आव यकता है। इसलिए जल की सप्लाई को फैलाने और वर्तमान जल साधनों के संरक्षण वाली सिंचाई स्कीमों पर लगातार अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। चालू वित वर्श के दौरान मुख्य तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों पर लगभग 42 करोड़ रूपए खर्च होने की आ ाा है जिसे वर्श 1980–81 में लगभग 53 करोड़ रूपए बढ़ाने का प्रस्ताव है। राज्य के सूखा–सम्भावी क्षेत्रों में जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई स्कीम, सिवानी तथा लोहारू उठान स्कीमें, नहरों और अलमार्गों को पक्का करना, गहरे नलकूप और छिड़काव सैट लगाना, ये कुछ ऐसी मुख्य परियोजनाएं है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अत्याधिक प्रयत्नों से जारी रखा गया। इस वित वर्श के दौरान 18,000 के लक्ष्य की तुलना मैं लगभग 24,000

नलकूपों को बिजली दी जाने की आ ा है। आगामी वित वर्श के लिए 20,000 नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य है।

हरियाणा क्षेत्र में सतलुज–यमुना–योजक परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति संतोशजनक रही है तथा जून 1980 तक इसके पूरा होने की प्रत्या ा है। किन्तु पंजाब में इस परियोजना पर अभी निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हेतु लम्बित है।

मैंने पहले ही बताया है कि घोर सूखा और वर्शा के अभाव के कारण पानी और पानी से उत्पन्न की जाने वाली बिजली की उपलभ्यता बहुत कम हो गई जब कि इन साधनों की मांग उच्च स्तर तक पंहुच गई थी। इसलिए बिजली सप्लाई को विनियमित करना पड़ा। जहां उत्पादन को बनाए रखने के लिए औद्योगिक यूनिटों की सहायता की गई है वहां 2 लाख नलकूपों को बिजली सप्लाई के लिए प्राथमिकता दी गई है। सरकार का प्रयास यह रहा है कि खरीफ की फसल को बचाया जाए और श्रम ील कृशकों को रबी फसल की बुआई करने में समर्थ बनाया जाए। उपलब्ध बिजली का 60% भाग कृशि क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया है।

हरियाणा में दीर्घावधिक आधार पर बिजली की कमी को दूर करने के लिए पानीपत ताप बिजली परियोजना का प्रथम 110 मैगावाट यूनिट पहली नवम्बर, 1979 को हरियाणा दिवस के अवसर

पर भारत के राश्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी द्वारा चालू किया गया। 110 मैगावाट का दूसरा यूनिट भी बिजली उत्पादन के लिए तैयार है। 60 मैगावाट की फरीदाबाद ताप बिजली परियोजना के अन्तिम चरण का निर्माण–कार्य पूरा होने वाला है तथा पानीपत चरण–2 का निर्माण कार्य जिसमें 110–110 मैगावाट के दो यूनिट सम्मिलित है, 1982–83 में पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। यमुनानगर पन–बिजली परियोजना, जिसकी क्षमता 64 मैगावाट होगी, का निर्माण कार्य चल रहा है। इसका उद्दे य हरियाणा के सीमित किन्तु बहुमूल्य जल स्त्रोतों को अधिकतम उपयोग करना है। इस परियोजना के आठ में से दो बिजली घर 1982–83 में पूरे हो जाएंगे। मेरी सरकार ने हिमाचल प्रदे ा की सरकार के साथ मिलकर हिमाचल के जिला किन्नौर में नाथपा–झाकरी के स्थान पर सतलुज नदी के पानी से एक बड़ी भारी पन–बिजली परियोजना द्वारा 1000 मैगावाट तक बिजली पैदा करने हेतु एक समझौता किया है, जिस द्वारा उत्पन्न की जाने वाली बिजली दोनों राज्यों मैं बांटी जाएगी। सरकार थीन बांध परियोजना जैसी अन्तर्राज्यीय स्कीमों से पैदा होने वाली बिजली में भी अपने यथोचित हिस्से की बिजली की मांग सक्रिय रूप से कर रही है।

परिशण प्रणाली मैं सुधार लाने के अतिरिक्त, हरियाणा राजय बिजली बोर्ड ने ताप–बिजली तथा पन–बिजली के उत्पादन की नयी स्कीमों की जांच तथा डिजाइन करने के लिए हाल ही में

एक बिजली विकास कक्ष की स्थापना की है ताकि हरियाणा की आर्थिक विकास योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सस्ती तथ नब्बे की द ााब्दियों में ऊर्जा की कुल उपलभ्यता बढ़ाई जा सके।

मेरी सरकार राज्य मे विद्युत साधनों तथा सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के इलावा खेतों के उत्पादन में वृद्धि के लिए बेहतर उपायों को प्रोत्साहन दे रही है। बेहतर कृशि सामग्री के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने और इसका प्रचार करने तथा सूखा–पीड़ित किसानौं की कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रमाणीकृत बीजों, रासायनिक खादों एवं घास–पात ना ाक दवाईयों पर लगभग 180 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार द्वारा अधिक क्षेत्र को का त के अधीन लाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयत्न किए जा रहे है।

सरकार तथा किसानों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद उत्पादन स्तर कायम रख गया है। आ ाा है कि सरकार वर्श 1979–80 में केंद्रीय भंडार के लिए लगभग 21 लाख टन गेंहूं तथा चावल की खरीद कर सकेगी जबकि वर्श 1978–79 में 18.2 लाख टन की खरीद की गई थी। सरकार किसानों को उनके उत्पादन का न्यायसंगत तथा उचित मूल्य दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्न कर रही है। पिछले वर्श धान का आलम्बक मूल्य 85 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 95 रूपए प्रति क्विंटल और प्रथम दर्जे के गेहूं

का खरीद मूल्य 112.50 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 115 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। मेरी सरकार आ ाा रखती है कि भविश्य मैं भी कृशकों के हित पर्याप्त सुरक्षित रहेंगे।

सहकारी क्षेत्र कृशि उत्पादन को बढ़ाने और समाज के जरूरतमंद वर्गों की सहायता करने मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपनी चीनी मिलों, कताई मिलों, राइस भौलरों तथा इस प्रकार के अन्य यूनिटों के माध्यम से बेकारी की समस्या को सुलझाने मैं वि ोश सहायता दे रहा है। कृशि और कृशितर धन्धों के लिए उधार रा ि ा जुटाने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों ने वर्श 1978–79 के दौरान लघु अवधि तथा मध्यम अवधि के 101.41 करोड़ रूपए के ऋण दिए जिस की तुलना में वर्श 1979–80 के दौरान लगभग 123 करोड़ रूपए के ऐसे ऋण दिए जाने की प्रत्या ाा है। सहकारी समितियौं द्वारा की गई सहायता के परिणाम का अनुमान सहकारी संस्थानों की कार्य पूंजी से लगाया जा सकता है जो 600 करोड़ रूपए से भी अधिक हो गई है। किसानों को राहत देने के विचार से, मध्यम अवधि ऋणों का ब्याज प्रथम दिसम्बर 1979 में 11 प्रति ात से घटा कर 10.5 प्रति ात कर दिया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों मैं 25 करोड़ रूपए के लघु अवधि ऋणों को मध्यम अवधि में परिवर्तित किया जा रहा है। ऋण देने की प्रकिया को सुगम बनाने और ऋणियों के हितों की सुरक्षा के लिए चैक बुक पद्धति आरम्भ की गई है। इस पद्धति के अन्तर्गत किसानों को उधार सीमा तीन वर्श के लिए स्वीकृत की

जाती है और उन्हें चैक बुक जारी की जाती है ताकि वे चैक जारी करके रा ि ा निकलवा सकें।

मेरी सरकार समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्तर को उन्नत करने के प्रयास कर रही है और इस उद्दे य के लिए 197 करोड़ रूपये की लागत वाली संयुक्त ग्रामीण विकास परियोजना निश्पादनाधीन है जिसका आधा ऋण वि व बैंक और बैंक संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है। इस संयुक्त परियोजना के अन्तर्गत नहरों और जलमार्गों को पक्का करने, गहरे आवर्धन नलकूप लगाने, देहाती जल सप्लाई और भूमि समतलन स्कीमें चलाने देहाती सड़कों का निर्माण और मण्डियों के विकास कराने के कार्य किया जा रहा है। सरकार बेकारी की समस्या को हल करने और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के विचार से प ाुपालन, डेरी विकास, मछली पालन और वन वर्धन के संयुक्त क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। इस वर्श के दौरान लघु तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीन ग्रामीणों की द ाा सुधारने सम्बन्धी वि ोश स्कीमों को वि ोश प्रोत्साहन दिया गया है और यह आ ाा की जातीहै कि 77,000 व्यक्तियों को स्वतः रोजगार देने के लिए वर्श 1979–80 के दौरान मूल रा ि ा तथ्ज्ञा सांस्थानिक वित्त के रूप में लगभग 11.50 करोड़ रूपए खर्च हो जाएगे। मेरी सरकार ने प ाुधन को सुरक्षित रखने के उद्दे य से बध के लिए गउओं के निर्यात पर रोक लगा दी है।

गेहूं के भंडारों के लाभकारी प्रयोग और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के युगल उद्दे यों की पूर्ति के लिए मेरी सरकार ने 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कोंका निर्माण, मछली तालों की खुदाई, गलियों को पक्का करना, हरिजन चौपालों, सामुदायिक केन्द्रों, पंचायत घरों और स्कूल भवनों का निर्माण, नालियों की खुदाई, प ाुधन पालन केन्द्रों और प ा चिकित्सा औशधालयों की स्थापना, सुअरपालन और भेड़ प्रजनन केन्द्रों आदि जैसी स्कीमों को निश्पादित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिए चालू वर्श के दौरान 25 हजार टन गेहूं दिया गया था। सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 'काम के बदले अनाज' का वि ोश कार्यक्रम भी चलाया गया और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करने के लिए 35 हजार टन गेहूं दिया गया था। सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 'काम के बदले अनाज' का वि ोश कार्यक्रम भी चलायागया और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करने के लिए 35 हजार टन गेहूं का वास्तव में उपयोग हो चुका है। भोश मात्रा को उपयोग में लाने के सतत प्रयास किए जा रहे है और भोश 10,000 टनभी अब भारत सरकार ने दे दिए है। हरिजन चौपालें बनाने की और सरकार वि ो ा ध्यान दे रही है। इस वर्श 1,000 ऐसी चौपाले पूरी हो जाएंगी और अगल वर्श 250 और चौपाले पूरी हो जाएंगी। चालू वर्श के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत सरकार का बराबर का अं ादान 96 लाख रूपए है।

कृशि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, मेरी सरकारइसबात से भी अवगत है कि औद्योगिक सामान उत्पादन के लिए और कृशि के भीघ्र विकास के लिए भी औद्योगिक प्रगति अनिवार्य हैंअतः औद्योगिक विकास की गति को बनाए रखने के प्रयास किए गए है औरभारत सरकार के 'जिला उद्योग केन्द्र' कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र स्थापित होने से होने से औद्योगिक विकास के लिए नाभिक रूप में कार्य करने के लिए, ग्रामीण युवा व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों मे लोगों को सामाजिक को, बनाए जाने वाले उत्पादों के निर्धारण से लेकर तैयार माल क विपणन तक सभी सुवधिाएं एक ही स्थान पर उपलबध कराएंगे। आ ाा है कि भीघ्र ही सभी जिला उद्योग केन्द्र अपनी पूरी भाक्ति से कार्य करने लग जाएंगे। राज्य सरकार लघु औद्योगिक यूनिटों को आर्थिक सहायतादेकर उत्पादित वस्तुओं को कोटि अंकन करके, तकनीकी सहायता देकर और निर्यात को प्रोत्साहन देकर, औद्योगिक विकास में सहायता कर रही है। आ ाा है कि निर्यात–सामान का मूल्य चालू वित्त वर्श के दौरान 85 करोड़ रूपए होगा यह इस दि ाा में अब तक सर्वोच्च उपलब्धि होगी। ग्राम औद्यागिक स्कीम के अन्तर्गत ि ाक्षित ग्रामीण युवकों रोजगार के अवसर प्रदान करने के विचार से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग फैलाने की नीति को उत्साह से जारी रखा जा रहा है। वर्श 1978–79 के दौरान 330 यूनिटों के लक्ष्य की तुलना में 697 यूनिटों की स्थापना की गई जिन द्वारा 1986 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर जुटाये गये। आ ाा है कि

चाले वित्त वर्श के दौरान लगभग 5200 व्यक्तियों की रोजगार जुटाने क लिए 1700 यूनिटों की स्थापना की जाएगी।

मेरी सरकार इस बात के प्रति जागरूक है कि लोगों के जीवन स्तर में बढ़ौतरी केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाकरही की जा सकती है। सरकार अन्तर्राश्ट्रीय बाल वर्श में प्रारम्भिक ि ाक्षा कार्यक्रम को सर्वव्यापी बनाने के लिए उत्साहपूर्वक काम करती रही है। 2 अक्टूबर, 1978 को भाुरू किए गए राश्ट्रीय प्रौढ़ ि ाक्षा कार्यक्रम को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। निरक्षता के उन्मूलन और ि ाक्षाको बढ़ रही जरूरत को पूरा करने के लिए 191 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें मिडल स्कूल कर दिया हैऔर 158 मिडल स्कूलोंका दर्जा बढ़ाकर उन्हें हाई स्कूल बना दिया गया है। स्त्री ि ाक्षा, वि ोशकर हरिजनों में स्त्री ि ाक्षा की समस्या की और राज्य सरकार का ध्यान काफी समय से लगा हुआ है। हरिजन लड़कियों को स्कूल में प्रवे ा हेतु आकर्शित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लियाहै कि सभी हरिजन लड़कियों को स्कूल में प्रवे ा हेतु आकर्शित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी हरिजन छात्राओं को प्राथमिक स्तर पर प्रतिमाह 10 रूपये छात्रवृत्ति दी जाए। अनुमान है कि ऐसी छात्राओं की संख्या 40,000 होगी। वर्श 1980–81 के दौरान केवल लड़कियों के लिए 300 नए प्राईमरी स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव है।

सामुदायिक जीवन में अध्यापक की भूमिका के महत्व को पहचानते हुए तथा अध्यापक वर्ग को संतुश्ट रखने की आवश्यकता को समझते हुए, मेरी सरकार ने दो वर्श से अधिक समय तक तदर्भ आधार पर कार्य करने वाले अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय किया है। गैर–सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की सेवा भार्तो को सुधारने की ओर वि ोश ध्यान दियागया है। गैर सरकारी स्कूलों का सहायतानुदान 25 प्रति ात से बढ़ा कर 75 प्रति ात कर दिया गया है। मेरी सरकार ने राज्य के मिडल स्कूलों में मुख्य अध्यापकोंकी व्यवस्था कर दी है तथा बी०एड० की योग्यता रखने वाले सभी जे०बी०टी० अध्यापकों को मास्टरों का वेतनमान दे दिया गया है। सरकार ने एक साहित्य अकादमी की, जो एक स्वायत ाासी निकाय है, स्थापना की है। यह हिन्दी में वि वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिए मार्गद र्ी नीति निर्धारित करेगी, साहित्यिक स्तर निदिश्ट करेंगी और सभी भाशाओं में साहित्यिक गतिविधियोंका समन्वय करेगी तथा हरियाणा की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा में भाोध को प्रोत्साहन देगी।

लोगों को वि ोशकर ग्रामीण क्षेत्रों में, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य ऐच्छिक स्कीम, बहुविध कार्यकर्त्ता स्कीम तथा दे ी दाई प्र िाक्षण कार्यक्रम जोर भाोर से जारी रखे गए है। नये अस्पताल भवनों के निर्माण तथा वर्तमान भवनों के विस्तार का कार्य भी आरम्भ किया

जा रहा आदमपुर के अस्पताल भवन का निर्माण आरम्भहो गया है। फतेहाबाद तथा सिरसा में निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु पग उठाए जा रहे है। हांसी, जगाधरी तथा चौटाला में अस्पताल भवनों का निर्माण कार्य आरम्भ करने हेतु पग उठाए जा रहे है। हांसी, जगाधारी तथा चौटाला में अस्पताल भवनों का निर्माण कार्य पूरे जोरों से जारी है तथा पेहावा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन भी बन रहा है। सोहना तथा पलवल के अस्पताल भवन तथा अहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन पूरे होने वाले है। न्यूनतम आव यक कार्यक्रम की ओर भी सरकार ध्यानदे रही है तथा पहले से अधिक पैमाने पर उपकरण और औशध्यिां प्राप्त की जा रही है। निवारक उपायों पर अधिक बल दिया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप रोगों में बहुत कमी हुई है। वर्श के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम को समग्र स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अभिन्न अंग के तौर पर जारी रखा गया है। इस संबंध में प्रेरणा, ि ाक्षा तथा स्वेच्छापूर्ण योगदान लेने पर बल दिया गया है। इस वर्श के दौरान रोहतक मैडीकल कालेज, महर्शि दयानन्द वि वविद्यालय द्वारा सरकार को पुनः अन्तरित कर दिया गया। भूतपूर्व प्रबन्ध निकाय क स्ीान पर स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में नया निकाय बना दियागया है। इस कालेज से सम्बद्ध अस्पताल में 1074 बिस्तर है। चिकित्सा तथा रोग निदान सम्बन्धी सुविधाओं को सुदृढ़ करने तथा उनका विस्तार करने तथा उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु काफी लागत वाले अतिरिक्त उपकरण खरीदे जा रहेहै। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मैडीकल कालेज को केन्द्रीय

सरकार से आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक वाहन हाल ही में प्राप्त हुआ है।

मेरी सरकार दे ाी चिकित्सा प्रणाली के उन्नयन में पहले से ही अत्यधिक रूचि ले रही है तथा इस वर्श के दौरान 58 नए औशधालय खोले गए है और अब इनकी कुल संख्या बढ़कर 328 हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन–स्तर में सुधार लाने की दृश्टि से चालू वर्श में ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए 7.5 करोड़ रूपए का उपबन्ध किया गया था। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया जा रहा है, अतः इस उपबन्ध को बढ़ा कर 8.5 करोड़ रूपए कर दिया गया है। आ ाा की जाती है कि वित्त वर्श के अन्त तक पानी की कमी वाले 160 गांवों तथा 30 अन्य गांवों में पेय–जल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्श 1980–81 के दौरान लगभग 195 गांवों में नल द्वारा जल सप्लाई की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहन–सहन में सुधार करना आव यक है, वहां गांवों को भाहरों क्षेत्रों और मंडियों के साथ जोड़ना भी अनिवार्य है ताकि किसान अपनी फालतु उपज मंडियों में ला सकें और जीवन के लिए आव यक वस्तुओं को बाजार से खरीद सकें। चालू वित्त वर्श के दौरान 475 किलोमीअर लम्बी सड़के पक्की की जा चुकी है और 31–12–1979 तक 250 और

गांवों को पक्की सड़कों के साथ जोड़ दियागया हैं महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण, छोटे पुलो की मुरम्मत और सड़कों को चौड़ा करने, सड़कों की पटरियों को पक्का करने, बरसात के पानी के निकास और सिंचाई की खालों के लिए पुलियों की व्यवसाि करने की और राज्य सरकार ने वि ोश ध्यान दिया है। आ ाा है कि चालू वित्तीय वर्श में इन कार्यो पर 12.5 करोड़ रूपए का खर्च होगा। इतनी ही रा ि ा का उपबन्ध अगले वर्श की योजना में किया गया है।

सड़क सुविधाओं मे सुधार के साथ–साथ मेरी सरकार ग्राम मार्गो पर अधिक परिवहन सेवाएं चलाने की योजना बनाती रही है। सोनीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद मं तीन नए डिपों स्थापित किए गए है और कई महत्वपूर्ण स्थानों पर आधुनिक बस अड्डे और' क्यू भौल्टर' बनाए जा रहे है। राज्य में बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है और आगामी वित्त वर्श में 250 बसों को बदलने के साथ–साथ बस सेवाओं में वृद्धि हेतु सरकार का 200 और नई बसें चलाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वर्श 1980–81 के अन्त तक बसों की संख्या बढ़कर 2600 हो जाने की प्रत्या ाा है। वर्क ाापों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और कार्य कु ालता एवं आत्मनिर्भरता के लिए बस की बाडियां बनाने का कार्य विभागीय स्तर परहाथ में लिया जा रहा है।

मेरी सरकार हरिजनों और पिछड़ी श्रेणियेां के कल्याण में प्रबल रूचि रखती हैं जहां छुआछूत को हटाने के लिए हर

सम्भव प्रयास किया जा रहाहै, वहां इन श्रेणियों की सामाजिक–आर्थिक द ाा सुधारने के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे है। राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों और राज्य के स्थानीय निकायों में नियुक्त समस्त मेहतरों को सरकार ने प्रथम जुलाई, 1979 से 50 रूपए मासिक वि ोश भत्ता स्वीकृत किया है। पिछडी श्रेणियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का कोटा 5 प्रति ात् से बढ़ा कर 10 प्रति ात कर दिया गया हैं अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की रा ि ा में पर्याप्त वृद्धि की गई है। और सरकार ने पिछड़ी जातियों के लाभार्थ एक निगम की स्थापना करने का सिद्धान्तरूपेण निर्णय लिया है। बच्चो, वि ो ातः अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और विकलांग वर्गो से संबंधित बच्चों के लिए अधिकाधिक सुविधाएं जुटाई जा रही है–नामतः सहायतानुदान, निः ाुल्क पुस्तके और वर्दियां तथा पूरक पोशाहार, स्वास्थ्य जांच, रचनात्मक और मनोरंजन संबंधों सुविधाएं। अन्तर्राश्ट्रीय बाल वर्श के दौरान अविकसित बुद्धि वाले और विकलांग बच्चों के लिए एक प्र ि ाक्षण संस्थान और निराश्रित लड़कियों के लिए अनुरक्षक गृह चालू करने के लिए कदम उठाए गए है। अवांछित बच्चों के लिए राई में एक बाल ग्राम की स्थापना के लिए पग उठाए जा रहे है।

मेरी सरकार सभी क्षेत्रों और समुदायो के समान विकास में वि वास रखती है। अतः जहां समाज के ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गो की वि ि ाश्ट जरूरतोंका ध्यान रखा गया है, वहा

सरकार ने कस्बों और ाहरी सम्पदाओं की भी उपेक्षा नही की है। इसलिए भाहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सम्बन्ध सुधार लाने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे है और इनमें सुरक्षित पेयजल की सप्लाई, मल–मार्गों का निर्माण, सड़कों पक्की गलियों और नालियों, सामुदायिक 'फ्ल ा' भौचालयों और सड़कों में रो ानी की व्यवस्था करना आदि स्कीमें भाामिल है। जनसंख्या बढ़ने से भाहरी तथा ग्रामणी क्षेत्रों में आवास की समस्या विकट से विकटर बनती जा रही है। अतः चरणबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण करने के प्रयत्न किये जा रहे है। नगरपालिका अधिनियम को अधिक लोकतन्त्रीय और लोगों की आव यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए सं ाोधित किया गया हैं सभी अनुसूचित क्षेत्र समितियां श्रेणी 'ग' नगरपालिकाएं बना दी गई हैं कुरूक्षेत्र तीर्थ स्थल, जहां दे ा के सभी भागों से श्रद्धालुगण आते है, का विकास वि ोश रूप से उल्लेखनीय हैं राज्य प्र ाासन ने हाल में सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरूक्षेत्र में आने वाले लगभग 20 लाख यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 40 लाख रूपए की लागत से व्यापक प्रबन्ध किया था। मेवात क्षेत्र में विकास की गति तीव्र करने और इस प्रकार जन–साधारण वि ो ातः समाज के कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु एक उच्च अधिकारमय 'मेवात विकास बोर्ड' का मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया है। इस बोर्ड पर मेवात क्षेत्र में चालू की जाने वाली विभिन्न वि ोश परियोजनाओं के बनाने, कार्यान्वित करने और उनकी प्रगति की जांच करने का पूरा दायित्व होगा।

हरियाणा पर्यटन निगम को, जो पर्यटन के उन्नयन में सुविख्यात हैऔर अन्य राज्यों को पराम र्श सेवाएं प्रदान कर रहा है, भारत के व्यापार मेल प्राधिकरण द्वारा भारतीय अन्तर्राश्ट्रीय व्यापर मेला, 1979 और राश्ट्रीय उद्योग मेल, 1980 में प्रतिश्ठित रेस्तरां चलाने का भार सौपां गया था। राज्य के सिविल विमानन विभाग ने गुजरात में हवाई छिड़काव के लिए ठेका लेकर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा लिया है। इस विभाग द्वारा अन्य राज्यों में भी हवाई छिड़काव गतिविधियों का विस्तार किए जाने की प्रत्या ा है। खेल–कूद के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों ने वि ोश ख्याति प्राप्त की है और आ ा है कि खेल–कूद विभावग द्वारा चलाए जा रहे वैज्ञानिक प्र ि ाक्षण कार्यक्रम से राज्य के खिलाड़ी इससे भी अधिक श्रेश्ठता के स्तर तक पहुंच सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान समुदाय और समाज के कमजोर वर्गो की आव यकताओं को पूरा करते हुए मेरी सरकार श्रमिकों तथा व्यापरियों के हितों की देखभाल करने में भी पीछे नही रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियक 1948 के अधीन आने वाले 36 अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दर, जो 140 से 220 रूपए प्रतिमास थी, को बढ़ाकर 240 से 250 रूपए प्रतिमास कर दिया गया है। इस प्रकार सं ाोधित मजदूरी की न्यूनतम दरें पड़ोसी राज्यों की दरों की तुलना में अधिक हैं अधिकतर रोजगारों में मजदूरी की ये न्यूनतम दरे उपभोक्ता मूल्य संचकांक से जोड़ दी गई हैं जहां तक व्यापारी समुदाय का सम्बन्ध है, एक समिति

द्वारा कराधान प्रणाली पर पुनविचार किया गया है तथा बिक्री कर निर्धारण की क्रियाविधि में सुधार किया गया है तथा बिक्री कर ढांचे को कुछ तर्क संगत बना दिया गया है। उपभोक्ता वस्तुओं तथा औद्योगिक कच्चे माल के पुन वर्गीकरण से चुंगी कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए एक समान चुंगी अनुसूची तैयार करना सरकार के विचारधीन है।

सामाजिक–आर्थिक विकास तथा सुव्यवस्थित वृद्धि के लिए भाान्ति तथा सुरक्षा का वातावरण अनिवार्य है। इसलिए मेरी सरकार औद्योगिक सद्भावना को बनाए रखने तथा राज्य में औद्योगिक सम्बन्धों में और अधिक सुधार लाने के लिए उत्सुक रही है। आमतौर पर राज्य में औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे रहे है यद्यपि कुछेक उपक्रमों में, वि ोशतया फरीदाबाद औद्योगिक काम्पलैक्स में हड़तालों/तालाबन्दियों की घटनाएं हुई है। हरियाणा सरकार कामगारों की उचित मांगों के प्रति सदैव सहानुभूतिपूर्ण रहेगी, तथापि सरकार इसबात की इच्छुकहै कि उत्पादन के प्रयत्न में कोई रूकावट न हो। वर्श 1979–80 के दौरान राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में तथा संतोशजनक रही हैं वर्श के दौरान जींद में एक नया सै ान डिवीजन स्थापित किया गया है तथा फरीदाबाद में एक अलग सै ान डिवीजन बानो का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया जा चुका हैं सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण में वि ोश रूचि ली है तथ पुलिस कर्मचारियों की सेवा भार्तो में पर्याप्त सुधार किया गया

है। पुलिस कर्मचारियों को दिए गए कुछ वित्तीय लाभ इस प्रकार हैः अराजपत्रित अधिकारियों, हैड कांस्टेबलों तथा कांस्टेबलों को प्रतिवर्श एक मास का अतिरिक्त वेतन, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबलों को दस रूपए प्रतिमास सवारी भत्ता, मुक्त मकान उपलब्ध न होने पर हैड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों को उने वेतन का दस प्रति ात तक मकान किराया भता तथा दुगना वर्दी अनुरक्षण भत्ता प्रदान करना। कल्याण कार्यक्रमों को चला रही है। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान पहले वर्श 1969 में सं ाोधित किए गए थे परन्तु तब से स्थिति काफी बदल चुकी है। सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान पहले वर्श 1969 में सं ाोधित किए गए थे परन्तु तब से स्थिति काफी बदल चुकी हैं सरकारी कर्मचारियों की वेतनमानों में सं ाोधनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 1979 में एक वेतन आयोग गठित किया गया था। आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोटों पर विचार किया जा रहा है तथ इसके परिणामस्वरूप सभी विभागों में सामान्य वर्गो के कर्मचारियों, पुलिए कर्मचारियों तथा कुछ अन्य विभागों के कर्मचारियों के वेतनमानों के सं ाोधन, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने, यात्रा भत्ता एंव दैनिक भतता दों में सं ाोधन आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका हैं अपनाये गये वेतन नियतन विधि द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 30 रूपए प्रतिमास का लाभ सुनि ित किया गया है तथा लाभ का आधार सेवा अवधि के सथ भी सम्बद्ध किया गया है। कर्मचारियों के सामान्य वर्ग के अन्तर्गत लगभग 70 प्रति ात कर्मचारी आते है। चण्डीगढ़ के अतिरिक्त, राज्य में बड़े नगरों

अर्थात अम्बाला भाहर तथा छावनी काम्पलैक्स, यमुनानगर एंव जगाधरी काम्पलैक्स, फरीदाबाद एवं रोहतक के एिल पही बार नगर प्रतिपूर्ति भत्ता सवीकृत किया गया है। सं ाोधित वेतनमान प्रथम अप्रैल, 1979 में लागू किए गए है परन्तु नकद अदायगी प्रथम जनवरी, 1980 से की जाएंगी। भोश सिफारि ाों पर भी मेरी सरकार सक्रिया रूप से विचार कर रही है तथा उन पर भीर्घ ही निर्णय ले लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन सारे तृतीय श्रेणी के तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है जिन्होने 31–12–79 तक दो वर्श की निरन्तर सेवा अवधि पूरीकर ली है और जिनक सेवा रिकार्ड अच्छा रहा है।

अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने की दृश्टि से आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लाभ विस्तृत रूप में बंटने चाहिए। इस उद्दे य से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणली को और सृदृढ़ कियागया है। सर्वाजनिक वितरण प्रणाली की आव कता को पूरा करने के लिए सरकारी एजेसियों के पास गेहूं तथा चावल के पर्याप्त भंडार है, परन्तु काफी समय से कुछ आव यक वस्तुओं–जैसे, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल तथा सीमेंट–की सप्लाई कम रही है। राज्य सरकार परिवहन बाधाओं को दूर करने और सप्लाई में सुधार लाने के लिए भारत सरकार से सम्पर्क बनाए हुएहै। सीमेंट के वितरण के लिए परमिट पद्वति भाुरू की गई है। आ ाा है कि केन्द्र में बनी नई सरकार की सहायता से डीजल, मिट्टी का तेल, कोयले और सीमेंन्ट की

सप्लाई में सुधार होगा। उपभोक्ता भंडार और उचित मूल्य की दुकानें कम सप्लाई वाली वस्तुओं को उपलबध करवाकर और उपभोक्ता बाजार में मूल्यों को स्थिर रख कर महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। कपड़ा, दवाईयों, लेखन सामग्री जैसी कुछ आधारभूत आव यकताओं का इन एजेंसियों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है।

प्राकृति आपदाओं और अन्य अप्रत्यि ात कारणों से सरकारी खजने पर असाधरण भार पड़ा है। दूसरी ओर वार्शिक योजना का परिणाम बढ़ा दिया गया है और प्रति व्यक्ति आय में पर्याप्त वृद्धि के लिए विकासात्मक तथा कल्याण कार्यो की गति बढ़ानी पड़ेगी। इन सीाी कार्यो को करने के लिए मेरी सरकार को अन्य बातें के साथ–साथ राजस्व वसूली बढ़ानी होगी, कर चोरी रोकनी होगी, सभी क्षेत्रों में मित्व्ययिता लानी होगी और सभी स्तरों पर बचतों को प्रोत्साहन देना होगा। साधनों को बढ़ाने और गैर जरूरी खर्चो को रोकने के लिए प्रभावी कदम भी उठाने होगे।

यह मानने योग्य तथ्य है कि हम सब अपने राज्य की सामाजिक–आर्थिक अवस्था के परिवर्तन के वि ाल कार्य में जुटे हुए है औरइस चुनौतीपूर्णकार्य को सिरे चढ़ाने के लिए मेरी सरकार को विधायकों, प्रं ाासकों और राज्य की जनता के सहयोग की आव यकता होगी।

मुझे वि वास है कि यह सहयोग और पूर्ण योगदार पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा।

माननीय सदस्यगण, अब मै आपसे विदा चाहूंगा क्योंकि आप द्वारा 1980–81 के बजट प्रस्तावों और अनेक वैधानिक एवं अन्य मामलों सहित अनेक विशयों पर विचार किया जाना है। आपने भारतीय संविधान (पैतालीसवां सं ाोधन) विधेयक 1980 के पुश्टिकरण पर भी विचार करनाहै। इस द्वारा (क) लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जन–जातियों के लिए सीटों के आरक्षण को और (ख) नामांकन द्वारा लोक सभा और विधान सभाओं में एंग्लों–एण्डियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की और 10 वर्शो के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मै आपक विचार–विम र्ा में आपकी सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द''

भाोक प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now a Minister may kindly make obituary references.

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान के बाद से लेकर अब तक, इस दे ा में 25

ऐसे महानुभाव जिनका जीवन राजनैतिक और ऐतिहासक तौर पर उल्लेखीनीय रहा है, हमसे जुदा हो गये। मै उनके प्रति हार्दिक सम्वेदना प्रकअ करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह सदन श्री जय प्रका ा नारायाण के 8 अक्तूबर, 1979 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री जय प्रका ा नारायण का जन्म 11 अक्टूबर, 1902 को बिहार के एक गांव में हुआ। बिहार विद्यापीठ से आरम्भिाक ि ाक्षा प्राप्त करने के प चात् वह कलकता ऐसोसिए ान द्वारा दी गई छात्रवृत्ति पर अमेरिका गये। वहां उन्होने 8 वर्श तक रहने के बाद ओहायो वि ववविद्यालय में एम०ए० की डिग्री प्राप्त की।

अमेरिका से लौटने के प चात् वह भारतीरू राश्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवे ान में श्री जवाहर लाल नेहरू के भाशणों से प्रभावित हुए। उन्होने श्री नेहरू के सुझाव पर कांग्रेस दल के श्रम विभाग का कार्यभार स्वीकार कर लिया। उन्होने नागरिक अवजज्ञा आदोलन में भाग लिया ाा वह नासिल जेल में बन्दी बना कर रखे गए। जेल से छूटने से प चात उन्होन आचार्य नरेन्द्र देव के साथ मिलकर अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की। 1936 में उन्होने 'समाजवाद क्यों'? भीर्शक से घोशणापत्र लिखा। उन्होने 1940 से अप्रैल, 1946 तक फिर जेल यातनाएं सही। 1942 में उनहें हजारी बाग जेल में

स्थानान्तरित कर दिया गया। वहां से वह अपने साथियों साहिबत नेपाल भाग जाने में सफल हुए।

श्री जयप्रका ा नारायण भारतीय समाजवादी दल के स्थापक–सचिव और अनेक श्रमिकों संगठनों के अध्यक्ष थे। 1957 में उन्होने राजनीति छोड़ दी और विनोबा भावे द्वारा चलाये गये सर्वोदय आंदोलन के लिए आने आप को समर्पित कर दिया। वह 1962 में भारत पाक संधि संघ के प्रथम अध्यक्ष और नागालैड भाांति मि ान के सदस्य भी रहे। उन्हें 1965 में 'रेमन मैगसेसे' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

श्री नारायण ने 1971 में बंगला दे ा के स्वतन्त्रता संघर्श के पक्ष में वि व जनमत पैदा करने के लिए विदे ाों का दौरा किया। उन्होने मध्य प्रदे ा की चम्बल घार्टी के डाकूओं के सुधार के लिए कार्य किया।

उनके निधन से दे ा एक स्वतन्त्रता सेनानी तथा प्रमुख राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतत्प परिवार के सदस्यों से आनी हार्दिक संवेदना प्रकट करत हैं

यह सदन संसद सदस्य श्री बाल गोबिन्द के 11 जनवरी, 1980 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करताा है।

श्री बाल गोविन्द का जन्म 20 अगस्त, 1923 को उत्तर प्रदे ा के जिला खेड़ी के एक गांव में हुआ। वर्श 1938–47 तथा

वर्श 1947–52 के दौरान उनका क्रांतिकारी समाजवादी दल तथा समाजवादी दल से सम्बन्ध रहा।

श्री वर्मा 1962 से 1977 तक लोक सभा के सदस्य रहे। वर्श 1971–77 में वह केन्द्रीयउप मंत्री थे तथा उनके पास श्रम एवं संचार, पुनर्वास, सिंचाई एवं बिजली विभाग था।

उनकी रूचि सहकारी आन्दोनल में थी तथा वह भारतीय उपभोक्ता परिशद् के अध्यक्ष भी रहे है। श्री बाल गोविन्द वर्मा खेड़ी निर्वाचन क्षेत्र से सातवी लोकसभी के लिए चुने गएं।

उनके असामाजिक निधन से दे ा एक कु ाल सांसद की सेवओां से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हैं

यह सदन पूर्वकालीन पैप्सू राज्य के मुख्य मंत्री सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाल के 31 दिसम्बर, 1979 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हैं

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला का जन्म 16 दिसम्बर, 1901 को फतेहागढ़ साहिब उप–मण्डल के गांव भड़ी में हुआ। 1925 में महेन्द्र कालिज, पटियाला से स्नातक होने के प चात, श्री राड़ेवाल 1927 में तत्कालीन पटिसाल राजय की सरकार में न्यायिक सेवा में भाामिल हुए तथा पटियाला राजय की हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने। उन्होने उपायुक्त, आबकारी एंव कराधान आयुक्त, राजस्व

आयुक्त के पदों पर कार्य किय तथा वह 1946 में राजस्व मंत्री बन गए।

उन्होने 1948 में पैप्सू के गठन के प चात राज्य में प्रथम अन्तरिम मंत्रालय का नेतृत्व किया। मई, 1951 तक उन्होने सभी मन्त्रिमण्डलों का नेतृत्व किया।

वर्श 1951 में वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पैप्सू विधान सभीह के लिए चुने गएं तथा अपने नेतृत्व में यूनाईटिड फण्ट पार्टी बनाई। उप–चुनाव में वह पुनः राज्य विधान सभा के लिए चुने गये तथा उन्होने नै ानल फ्रण्ट के रूप में एक अलग पार्टी का गठन कियां

श्री राड़ेवाला 25 सितम्बर, 1956 में कांग्रेस में भाामिल हुए। 1957 के आम चुनावों में वहं पंजाब राज्य विधान सभा के लिए सरहिन्द निर्वाचन क्षेत्र से चुने गऐ तथा 1957 से 1962 तक मंत्री के रूप में रहे। 1962–1967 के लिए पुनः राजय विधान सभा के लिए चुने गए तथा 1967 में विधान मण्डल कांग्रेस पार्टी के नेता बने।

उनके निधन से दे ा एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और प्र ाासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदनदिवंगत के भाोक–संतत्त परिवार के सदस्यों से आनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हैं

यह सदन पंजाब के भूतपर्व मंत्री सरदार गुरबन्ता सिंह के 5 फरवरी, 1980 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

सरदार गुरबन्ता सिंह का जन्म 1907 में जिला जालन्धर के धालीवाल गांव में हुआ। डी०ए०वी० कालिज, जालन्धर से ि ाक्षा प्राप्त करने के प चात वह साई दास हाई स्कूल में 14 वर्श तक अध्यापक रहे।

सरदार गुरबन्त सिंह 1946 में पंजाब विधान सभा के लिए चुने गऐ तथा दे ा–विभाजन से पूर्व मिली जुली सरकार के संसदीय सचिव चुने गए। वह जनवरी, 1956 में गठित पहले कैरों मंत्रिमण्डल में कृशि मंत्री नियुक्त हुए तथा बाद में उन के पास पंचायत, सहकारिता तथा विकास विभाग का कार्यभारत रहा। वह 1967 तक राज्य विधान सभा के सदस्य रहें वह 1972 के चुनावों में जिला जालन्धर के करतारपुर निर्वाचन क्षेत्र से पुनः पंजाब राज्य विधान सभी के लिए चुने गऐ। वह मार्च, 1972 से जून, 1977 तक ज्ञानी जैल सिंह मन्त्रिमण्डल में कृशि एंव वन मंत्री रहे। उन्होने पिछड़ी एवं दलित श्रेणियों के उत्थान तथा ि ाक्षा को बढ़ावा देने में गहरी रूचि ली।

उनके निधन से दे ा एक प्रसिद्ध लोक सेवक और राजनीतिज्ञ की सेवाओं से वंचिज हो गया है। सदनदिवंगत के

भाोक–संतत्प परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवदेना प्रकअ करत है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री ए०एम० तारिक के 23 दिसम्बर, 1979 को हुए दु:खद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री तारिक जम्मू तथा क मीर राज्य से थे। उनका जन्म 22 जून, 1923 में हुआ। उन्होने 1957–62 में जम्मू तथा क मीर से लोक सभी से सदस्य के रूप में कार्य किया तथा 1962 में राज्य सभी के लिये चुने गऐ। वह 1961 में लंदन में हुए राश्ट्रमण्डल सम्मेलन में भारतीस संसद ि ाश्टमण्डल के सदस्य थे। वह 1964 में अज्जीरिया में हुए एफरोएि ायन सोलीडेरिटी सम्मेलन के सदस्य भी थे। वह 1964–66 में जम्मू क मीर के मंत्री रहे। वह भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष भी रहे।

उनके निधन से दे ा एक कु ाल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है सदन दिवंगत के भाोक संतत्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हैं

डा० मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, ऐसे गम्भीर समय पर मेरा टोकना भाोभा तो नही देता क्यों कि मै भी इनके दुख में भाामिल हूं, लेकिन आप मुख्य मंत्री महोदय से कह दे कि भाोक प्रस्ताव पढ़ कर न बोले, क्योंकि

जो कुछ ये बोल रहे हे, वह तो उस मैटीरियल में लिखा हुआ है, जो हमे सप्लाई हुआ है। जुबानी बोले तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्षः आप जरा कट– ाार्ट करे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, डा० साहब पुराने पालियामैटेरियन हे, इनकों इतन तो ज्ञान होना चाहिए कि हर आदमी की जन्म तिथि तथा मृत्यु तिथि जुबानी याद नही रखीजा सकती। (व्यवधान)

डा० मंगल सैनः जन्म–तिथि और मरण–तिथि आप देख ले लेकिन बाकी जुबानी बोले।

श्री अध्यक्षः पढ़ने में कोई हर्ज नही है लेकिन आप थोड़ा सा कट– भाार्ट करें।

चौधरी भजन लालः यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री टी० वि वानाथन के 10 नवम्बर, 1979 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हैं

श्री वि वानाथन का जन्म 20 सितम्बर, 1895 को हुआ। उन्होने नमक सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लिया तथा अनेक बार जेल यातानएं सहीं वह 1937 से 1939 तक मद्रास सरकार क राजस्व विभाग ` संसदीय सचिव तथा 1946–47 में मुख्य संसदीय सचिव के रूप में रहे। उन्होने 1951 तक इंडियन नै ालन कांग्रेस तथा तत्प चात

किसान कजदूर दल में कार्य किया। वह 1937–39 तथा 1946–53 में मद्रास विधान सभा के लिए चुने गए। वह 1953–54, 1956–59 तथा 1962–67 में आन्ध्र प्रदे ा विधान सभा के सदस्य थे। वह 1959–60 में आन्ध्र प्रदे ा सरकार में वित्त मंत्री तथा कम्पनी ाकनून पराम र्ा समिति, नई दिल्ली के अध्यक्ष थे। वह 1967–71 में आन्ध्र प्रदे ा से वि ााखापटनम निर्वाचन क्षेत्र से चौथी लोक सभा के लिए चुने गए। वह कई तेलगू भाशा की पुस्तकों के प्रका ाक थे।

श्री वि वानाथन के निधन से दे ा एक प्रमुख सांसद, स्वतन्त्रता सेनानी तथा लेखक की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री सांदा नारायणप्पा के 20 अक्तूबर, 1979 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री सांदा नारायणप्पा का जन्म पहली जुलाई, 1913 को बिहार में उरावकोडा स्थान पर हुआ। उन्होंने 1940 से वैयक्तिक सत्याग्रह आन्दोलन तथा 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लिया तथा जेल की सजा भोगी। वह अविभाजित मद्रास राज्य तथा आन्ध्र प्रदे ा की विधान सभाओं के सदस्य रहे। वह अप्रैल, 1968 में राज्य सभा के लिए चुने गए।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री एम.टी.राजू, आई. सी.एस. (सेवा–निवृत्त) के 20 अक्तूबर, 1979 को हुए दुःखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री राजू का जन्म आन्ध्र प्रदे ा के जिला गोदावरी में 5 अक्तूबर, 1911 को हुआ। उन्होंने भारतीय सिविल सेवा में एक सुचोग्य अधिकारी के रूप में दे ा की सेवा की। उन्होंने आन्ध्र प्रदे ा सरकार के मुख्य सचिव पद पर कु ालता से कार्य किया। सेवा निवृत्ति के प चात् वह सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में लग गए। कृशि सम्बन्धी मामलों में उनकी गहरी रूचि थी।

वह 1971–77 में आन्ध्र प्रदे ा के नरसापुर निर्वाचन क्षेत्र से पांचवी लोक सभा के लिए चुने गए।

उनके निधन से दे ा ने एक प्रमुख प्र ाासक तथा सांसद को खो दिया है। सदन दिवंगत के भाोक संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य मौलवी अब्दुल गनी डार के 2 नवम्बर, 1979 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

मौलवी अब्दुल गनी डार का जन्म लुधियाना में 1907 में हुआ। उन्होनें अपना राजैतिक जीवन अल्पायु में ही प्रारम्भ किया। उन्हे स्वतन्त्रता संग्राम मेंभाग लेने के कारण कई बार जेल यातनाएं सहन करनी पड़ी। 1952 में वह काग्रेंस उम्मीदवार के तौर पर जिला गुडगांव के नूह निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। वह 1962 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। वह 1962 से 1966 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होने हरिजनों के उत्थान में गहरी रूचि ली। तथा उनका सम्बंध कई समाज कल्याण संगठनों से था।उन्हे अरबी, फारसी तथा हिन्दी भाशाओं का अच्छा ज्ञान था और वह कई पुस्तकों के लेखक थे।

उनके निधन से दे ा ने एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा एक कु ाल सांसद खो दिया है। सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मोहम्मद ताहिर का जन्म 1903में बिहार के जिला पूर्णिया मेंु हुआ। उनका अपने जिले की स्थानीय निकायों में महत्वपूर्ण स्थान रहा। उनकी सामाजिक एवं भौक्षणिक मामलों में गहरी रूचि थी। वह 1937, 1942 तथा 1952 में बिहार विधान सभा के सदस्य रहै। वह संविधान सभा के सदस्य भी रहै। वह 1957–67 और 1971–77 के दौरान बिहार से लोक सभा के सदस्य रहे।

उनके निधन से दे ा एक अच्छे सामालिक कार्यकर्ता तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिंवगत के भाोक–संतप्त परिसार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन अस्थाई संसद तथा संविधान सभा के भूतपूर्व सरस्य श्री पदमपत सिंघानियां के 18 नवम्बर, 1979 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

उनका जन्म कानपुर में जनवरी 1905 में हुआ। उन्होने एक प्रसिद्ध उद्योंगपति के रूप में 1931 में संयुक्त प्रदे ा मर्चेन्ट चैम्बर की नींव रखी तथा वह 1935 में इंडियन चैम्बर आफ कामर्स तथा इंडस्ट्री के प्रथम सदस्य व अध्यक्ष थे। वह कानपुर में स्थित भारतीय टैक्नोलोजी एवं चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना में सहायक बने। वह जन कार्यो में गहरी रूचि रखते थे।

वह उत्तर प्रदे ा विधान सभा के सदस्य ओर 1946–52 के दौरान संविधान सभा तथा अस्थाई संसद के सदस्य रहे।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख उद्योगपति एवं सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन विंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री दत्ता जी राव बी. कदम के 18 नवम्बर, 1979 को दुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री दत्ता जी राव बी. कदम का जन्म 21 जनवरी 1919 को महाराश्ट्र में हुआ। उन्होने भौक्षिक तथा सहकारीसंस्थानों में गहरी रूचि ली। उन्होने 1971–77 में पांचवी लोक सभा के लिए महाराश्ट्र के हाटकंगले निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधत्व किया।

उनके निधन से दे ा एक कु ाल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिंवगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन राज्य सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामकुमार भुवालका के 24 नवम्बर 1979 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री राम कुमार भुवालका का जन्म 4 मई, 1897 को राजस्थान में रतनगढ़ के स्थान पर हुआ। वह एक प्रमुख व्यवसायी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। तथा उनका सम्बन्ध विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं एवं भौक्षिक संस्थाओं से था। उन्होने 1911, 1918, 1926 तथा 1946 में कलकत्ता में सांप्रदायिक उपद्रवों में तथा 1943 में पि चमी बंगाल में पडे अकाल में राहत कार्य किये। वह 1930–32 में नागरिक अवज्ञा आन्दोलन तथा नमक सत्याग्रह आन्दोलन में पाचं बार जेल गये। 1954–63 के दोरान वह

पि चमी बंगाल विधान परिशद के सदस्य रहे। सितम्बर, 1963 में वह राज्य सभा के लिये चुने गये।

उनके निधन सेदे ा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी , सामाजिक कार्यकर्ता तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री तान सिंह के 7 दिसम्बर 1979 को हुये दुखद तथा असामयिक निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री तान सिंह का जन्म रास्थान के जिला जैसलमेर में 25 जनवरी 1924 को हुआ। वह 1952–57 तथा 1957–62 के दौरान राजस्थान विधान सभा में सदस्य थे। वह तीसरी लोकसभा के लिए बाडमेर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये। उन्हाने अनेक ग्रन्थों की रचना की।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख सांसद तथा लेखक की सेवाओं से वंचित हो गया हैं सदन दिवगंत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री पायिका मूरमु के 8 दिसम्बर, 1979 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री मायिका मुरमू का जन्म बिहार में 15जनवरी 1912 को हुआ। उन्होने 1942 के 'भारत छोडो' आन्दोलन में भाग लिया और जेल भी गये। उन्होने भूदान आन्दोलन तथा अनुसूचित जातियों व पिछडी श्रेणियों के उत्थान कार्यो में गहरी रूचि ली। उन्होनें 1957–62 में बिहार के राजमहल निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक सभा के लिए प्रतिनिधित्व किया।

उनके निधन सेदे ा एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है जिसने कमजोर तथा दलित श्रेणियों की उन्नति के लिए कार्य किया। सदन दिंवगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री ब्रजे वर प्रसाद के 7 दिसम्बर 1979 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करताहै।

श्री प्रसाद का जन्म पटना में 22 अक्तुबर 1911 को हुआ। उन्होने अपनी ि ाक्षा पटना तथा लखनऊ में प्राप्त की। वह विभिन्न श्रम एवं युवा संगठनों के संस्थापक सदस्य रहे। वर्श 1941 तथा 1942–44 में कांग्रेस आन्दोलनों में भाग लेने के कारण उन्हे जेल यातनांए सहनी पडी। वह 1946–52 के दौरान संविधान सभा तथा अस्थाई संसद के सदस्य बने।

श्री ब्रजे वर प्रसाद बिहार में गया निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुने गये और 1967 तक संसद केसदस्य रहे।

एक कृशक के रूप में उन्होने कृशि श्रम के कल्याण कार्यो तथा संसद सदस्य होने के कारण विदे ाी कार्यो में भी वि ोश रूचि ली।

उनके निधन से दे ा एक योग्य सांसद तथा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री यज्ञ नारायण सिंह के 13 दिसम्बर 1979 को हुये असामयिक तथा दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री यज्ञ नारायण का जन्म 24 अप्रैल, 1932 को उड़ीसा राज्य में हुआ। उनकी ग्रामीण विकास में गहरी रूचि थीं वह वर्श 1962–67 में उड़ीसा के सुन्दरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी लोकसभा के सदस्य चुने गये।

उनके निधन से दे ा एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया हैं । सदन दिवंगत के भाोक–सतंप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हैं।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री एन. सेथूरमण के 24 दिसम्बर, 1979 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री सेथुरमण का जन्म 24 जनवरी, 1923 को पांडिचेरी में हुआ। वह पांडिचेरी के उप–मेयर थे। वह 1955 से 1958 तक तथा 1963 से 1964 तक पांडिचेरी विधान सभी के सदस्य के रूप में रहें। वह 1967 में पांडिचेरी से लोक सभा के लिए चुने गये।

उनके निधन से दे ाएक अच्छे सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिंवगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य श्री किसन वीर के 27 दिसम्बर, 1979 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री किसन वीर का जन्म 11 अगस्त, 1906में महाराश्ट्र में हुआ। उन्होने नागरिक अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल यातनाएं सही। उनकी सहकारी एवं भौक्षणिक गतिविधियों में गहरी रूचि थी। वह पांच वश्र के लिए महाराश्ट्र विधान परिशद के सदस्य रहे । उन्होनें 1962–67 में तीसरी लोक सभा के लिए महाराश्ट्र के सतारा निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया।

उनके निधन से दे ा एक कु ाल सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिंवगत के भाोक–सतंप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन 31 दिसम्बर, 1979 को भूतपूर्व संसद सदस्य श्री चन्द्र भांकर के हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हैं।

श्री चन्द्र भांकर का जन्म 3 सितम्बर, 1898 को तत्कालीन बम्बई राज्य में हुआ। उन्होने राश्ट्रीय आन्दोलनों में सकि्रय रूप से भाग लिया और 1942 में जेल गए। उन्होनें ग्रामीण विकास तथा औद्योगिक सहकारी समितियों में गहरी रूचि ली। उनका अपने नगर बड़ौच में विभिन्न सामाजिक तथा भौक्षणिक संस्थाओं से सम्बन्ध था।

वह 1952–62 के दौरान तत्कालीन बम्बई राज्य के बड़ौच निर्वाचन क्षेत्र से पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य चुने गये।

उनके निधन से दे ा एक स्वंतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद के भूतपूर्व सदस्य प्रो0 राम सरण के 2 जनवरी, 1980 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता हैं

प्रो0 राम सरण का जन्म 28 जुलाई, 1894 को मुरादाबाद में हुआ। उनकी ि ाक्षा आगरा कालजेज, आगरा,

कि ि चयन कालिज, इलाहाबाद तथा वि वविद्यालय स्कूल आफ लॉ, इलाहाबाद में हुई। वह अर्थ ाास्त्र के प्रोफेसर थे तथा उन्होने का ी विद्यापीठ, बनारस में कार्यकारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया। वह आगरा वि वविद्लाय सैनेट के सदस्य थे तथा 1922 से 1944 तक गांधी सेवा संघ, सर्वोदय समाज तथा हरिजन सेवक संघ के लिए कार्य करते रहे।

वह 1937–39 तथा 1946–52 में उत्तर प्रदे ा विधान सभा के सदस्य थे और 1952 में मुरादाबाद निर्वाचन क्षेत्र से पहली लोक सभा के लिए चुने गये।

उनके निधन से दे ा एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन राज्य सभा के सदस्य श्री त्रिलोकी सिंह के 29 जनवरी, 1980 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री त्रिलोकी सिंह का जन्म 10 मार्च ,1908 को फैजाबाद में हुआ तथा अपनी स्नातकीय ि ाक्षा गवर्नमैंट जुबली कालिज, लखनऊ से प्राप्त की। उनका सम्बन्ध 1926 से इंडियन नै ानल कांग्रेस से रहा तथा 1932–38 में जिला कांग्रेस समिति लखनऊ के सचिव रहे।उन्होने 1951 में कांग्रेस छोड़ दी तथा

1951–52 में किसान–मजदूर प्रजा दल में भाामिल हो गये। इस दल का नाम बाद में प्रजा समाजवादी दल पड़ा। वह 1954–55 में उत्तर प्रदे ा की प्रजा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, 1955–58 के इसे महासचिव तथा 1965–67 तक इसके उपाध्यक्ष रहे।

श्री त्रिलोकी सिंह कई भौक्षिक संस्थाओं तथा आयोगों में, जिमें कृशि मुल्य आयेग भी है, कार्य किया। वर्श 1967–68, 1970–76 में वह राज्य सभा के सदस्य थे तथा अप्रैल, 1976 मे वह पुनः चुने गयें।

उनके निधन से दे ा एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, राश्ट्रसेवी तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया हैं सदन दिबंगत के भाोक–सतंप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक सवेंदना प्रकट करता है।

यह सदन प्रमुख इतिहासकार डॉ0 रमे ा चन्द्र मजूमदार के 11 फरवरी, 1980 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

डॉ0 आर0सी0 मजुमदार का जन्म 4 दिसम्बर, 1888 कोबंगला दे ा के जिला फरीदपुर के खण्डपारा नामक स्थान पर हुआ। उन्होने कलकत्ता वि वविद्यालय से एम.ए. तथा पी.एच.डी. की डिग्रियां प्राप्त की। उन्हे कु ााण काल के बारे में वि िाश्ट अनुसन्धान कार्यो के लिए विख्यात रायचन्द प्रेमचन्द छात्रवृवि से पुरस्कृत किया गया।

उन्होनेअपना अध्यापनकार्य कलकत्ता और ढाका वि वविद्यालयों में किया। बाद में वह ढाका वि वविद्यालय के उपकुलपति बने।

डॉ0 मजूमदार नेकुछ समय के लिए बनारस के वि वविद्यालय के कालेज आफ इंडोलोजी में प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होने अखिल भारतीय इतिहास सम्मेलन, अखिल भारतीय ओरिएंटल सम्मेलन एि ायाई समाज,, बंगला साहित्य परिशद आदि संगठनों का नेतृत्व किया। 'मानवता के इतिहास' के प्रका ान के बारे में वह यूनेस्कों द्वारा गठित समिति के सकिय सदस्य भी रहे।

''भारतीय इतिहास'' (4 जिल्दें), ''सिपाही विद्रोह'' तथा ''1857 का विद्रोह'' ''भारतीय स्वंतत्रता संग्राम के तीन चरण'' तथा ''प्राचीन भारत'' आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें है।उन्होनेराम मोहनराय, स्वामी विवेकानन्द तथा बंगाल के पुनर्जागरण आदि वि ायों पर भी लिखा है। वर्श 1941 में वह ''भारतीय जनता के इतिहास तथा संस्कृति'' ग्रन्थ के मुख्य सम्पादक थे।वह पुस्तक भारतीय विद्या भवन द्वारा 11 जिल्दों में प्रकाि ात की गई। उन्होने वृद्धावस्था में भी सरस्वती की साधना जारी रखी। उन्होने अनेक पुरस्कार प्राप्त किये और कलकत्ता, रवीन्द्र भारतीय तथा जादवपूर वि वविद्लायों ने उन्हे डी0लिट0 की उपाधियों से विभूशित किया था। वि वभारती ने उनको इतिहास की दीर्घ एवं

महान सेवा के लिए ''दे ाी कोटम्मा' की उपाधि से अंलकृत किया।

उनके निधन से दे ा ने इतिहास भाास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान को खो दियया हैं सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन संसद सदस्य श्री भाफीकुल्ला अंसारी के 17 फरवरी, 1980 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री अन्सारीका जन्म 1918 में बिहार राज्य के मधुबनी जिले मैं हुआ। वह बिहार राज्य हथकरघा बुनकर सहकारीयूनियन, पटना के अवैतनिक सचिव तथा बिहार राज्य हथकरघा तथा हस्ति ालप निगम के कार्यकारी सदस्य थे।

वह 1962 से 1969 तक बिहार विधान सभा के और 1972–80 तक बिहार विधान परिशद के सदस्य रहे। हाल ही के आम चुनावों में वह मधुबनी निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे।

उनके निधन से दे ा एक कु ाल विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–सतंप्त परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री के0 संथानम के 28 फरवरी, 1980 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री संथानम् का जन्म 1895 में तामिलनाडु के जिला तंजावुर में हुआ। उन्होने गणित में एम0ए0 की डिग्री प्राप्त की औरउसके प चात बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। उन्होने असहयोग आन्दोलन, नमक सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लिया और 1930 और 1932 के दौरान तीन बार जेल यात्राएं की। वह 1932 से 1940 तक 'इंडियन एक्सप्रैस', मद्रास, के सम्पादक रहे। वह 1936 से 1942 तक भारतीय विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री संथानम् ने 1948–52 के दौरान केन्द्रीय परिवहन एवं रेलवे मन्त्रालय में राज्य मंत्री के पद का दायित्व निभाया। 1952–56 के दौरान उन्होने विंध्या प्रदे ा के उप–राज्यपाल पद को सु ाोभित किया। वह 1956–57 में द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। 1971 से 1975 तक उन्होने 'स्वराज्य' मद्रास, के सम्पादक पद का कार्य भार निभाया।

श्री संथानम् के निधन से दे ा एक स्वतंत्रता सेनानी, कु ाल संसद और सुविख्यात पत्रकार की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोक–संतप्त परिवार से अपनी संवदेना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः बाबू मूलचन्द जैन। बाबू जी अगर आपके पैर में तकलीफ है तो आप बैठकर बोल सकते है।

श्री मूलचन्द जैनः जी नहीं, मैं खडा हो सकता हूं।

कामरेड भांकर लालः अध्यक्ष महोदय, इस लिस्अ में मोहन सिंह तुड जी का नाम भी भाामिल कर लिया जाये।

चौधरी भजन लालः उनको पिछले सै ान में श्रद्धांजलि दी जा चुकी है। (विधन)

कामरेड भांकर लालः मेरे ख्याल में तो नहीं दी गई हैं (विघन)

श्री अध्यक्षः मैं चैक कर लूंगा। अगरपहले श्रद्धांजलि दी जा चुकी होगी तब तो ठीक है वरना उनका नाम इस लिस्अ में इंक्लूड कर लिया जायेगा।

श्री मूलचन्द जैन(सम्भालका): माननीय स्पीकर महोदय, जो भाोक प्रस्ताव इस सदन मे पे ा हुआ है, मैं उसका दुखी मन से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय,इन 25 महानुभावों में से 9–10 महानुभावों जैसे कि श्री जयप्रका ा नारायण, सरदार ज्ञान सिंह राडेवाला, मास्टर गुरबन्ता हिंस, श्री ए0एम0तारिक, मौलवी अब्दुल गनी डार, श्री ब्रजे वर प्रसाद और प्रो0 राम सरण के साथ मेरा निजी सम्पर्क रहा है । बाकी महानुभावों के विशय में चौधरी भजनलाल जी ने हाउस में जो

कुछ कहा है, उसका मै भी समर्थन करता हूं, लेकिन जिन महानुभावों से मेरा निजी सम्बन्ध रहा है उनके विशय में मुख्तसर तौर पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक श्री जयप्रका ा नारायण जी का सम्बन्ध है उनके विशय में तो बहुत ही दुख भरे दिल से कहना पड़ रहा है कि ऐसी महान हस्ती हमारे दे ा ने खोयी है जिन्होने न सिर्फ राजनैतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक तथा अध्यात्मिक क्षेत्र में भी समग्र क्रान्ति की लहर जागृत की। उन्होने न सिर्फ सभी क्षेत्रों में सिद्धांत के रूप में नौजवानों को प्रेरणा दी बल्कि अमली जीवन में भी सब कुछ करके दिखाया। हाउस के सभी सदस्य जानते होगें कि विवाहित होतें हूये भी उन्होने अपना समस्त जीवन बाल–ब्रह्मचर्य के तौर पर बिताया। ऐसे तो अन्य व्यक्ति भी होगें जिन्होने भाादी ही न की हो ओर ब्रहाचारी के रूप में जीवन व्यतीत किया हो जैसे हमारे स्वामी आदित्यवे ा जी है जिन्होने भाादी ही नहीं की है (विघन)। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं बल्कि यह तो मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं। हमारे दे ा में ऐसे कई ब्रह्मचारी हुये है और अब भी हमारे दे ा में मोजूद है जो भाादी नहीं करते और ब्रहाचारी के तौर पर जीवन व्यतीत करते हैपरन्तु ऐसे महान व्यक्ति जिनकी भाादी भी हुई हो और अपनी पत्नी श्रीमती प्रभा के साथ ऐसा गहरा समपर्क भी रहा हो ओर फिर भी बाल ब्रहाचारी के रूप में जीवन व्यतीत करें ऐसे बहुत कम लोग दुनियां में होते है।

स्वंतत्रता के प चात उनके जीवन में कितने ही ऐसे मौके आये जब उनको ऊंचें पद मिलते रहे परन्तु वे हमे ाा उनको ठुकराते रहे। उन्होने पद के लिए कभी लालच नहीं किया। पहले वे कम्युनिस्ट विचारधारा के थे परन्तु धीरे–धीरे वे बदलें। अमेरिका में वे लैफटिस्ट थे लेकिन एक तरीके से वे कम्युनिस्ट ही थे। आखिर में कम्युनिस्ट विचारधारा से बदलते बदलते वेसमाजवादी बने और अन्त में सेालह आने पूर्ण रूप से समाजवादी से गांधीवादी हो गये। उन्होने विनौबा भावे भू–आन्दोलन मै जितना कार्य किया उतना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। विनोबा भावे के भू–आन्दोलन में वे मुख्य कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने आये। वे इस आन्दोलन में सबसे पहले जीवनदानी हुये है। सन 1954 में जब मीटिग हुई तो उन्होने अपना जीवन विनोबा भावे जी द्वारा चलाये गये आन्दोलन के अर्पित कर दिया। उन्होने इस आन्दोलनको अपना जीवन ही अर्पित नहीं किया बल्कि एक नया रि मा भी करके दिखाया। उनहने चम्बल घाटी के डाकुओं में सुधार ही नहीं किया बल्कि उनके द्वारा आत्म–समर्पण करवाया। यह भी उन्होने एक करि मा ही करके दिखाया था। जिन डाकुओं के लिए लाखों रूपये का ईनाम सरकार की तरफ से रखा हुआ था, उनसे उन्होने आत्म–समर्पण करवाया। बनिा लाखोंरूपया दिये ऐसे एक नहीं बल्कि सैंकडो से आत्म–समर्पण करवाया। इन डाकुओं ने कितने ही कत्ल किये हुये थे लेकिन उन्होने श्रीजय प्रका ा नारायण जी केसामने समर्पण कर दिया। उन डाकुओं ने अदालत के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। हिन्दुस्तान के

नहीं मानव इतिहास मैं यह एक बहुत बडा करि मा था जहां एक डाकू ने नही बल्कि सैकडों अनसो ाल लोगों ने आत्म–समर्पण किया। उनकी यह बहुत भारी सफलता थी कि जिन डाकुओं को गिर फतार करने के लिए सरकार की ओर से लाखों रूपया ईनाम रखा गया हो और वे अपने आपकों सरकार के सामने आत्समर्पित करें। इससे बड़ा महान कार्य कोई नहीं हो सकता।

स्पीकर साहब, जब हमारे दे ा में ताना ााही की लहर जारी थी उस समय उन्होने जो कार्य किया उससे लोगों ने सबक सीखा होगा। इस भाोक प्रस्ताव के अवसरपर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि यह ऐसा मौका नहीं लेकिन जब यह ताना ााही की लहर चालू हुर्द तो 6 मार्च, 1975 को दिल्ली में एक भाानदार डिमान्सट्रे ान हुआ। आज जो रूलिंग पार्टी में कई सदस्य बैठे है वे भी उस में भाामिल हुऐ। इसतरह से और भी कई प्रद र्ान हुये।

Mr. Speaker: Babuji I would request you to leave politics out of it.

श्री मूलचन्द जैनः स्पीकर साहब,यह पौलिटिक्स नहीं है इतिहास का हिस्सा है मेरा कहने का मतलब तो यह है कि उन्होने यह आन्दोलन चला करके डैमोक्रेटिक वैल्यू मेंबड़ा भारी योगदान दिया जिस परयह सारा दे ा बमय रूलिंग पार्टी के गौरव कर सकता हैं। मैं सिर्फ पीछे का रैफरेन्स दे रहा हूं क्योंकि मैंने भी और हमारे साथियों ने जोआज रूंलिग पार्टी में बैठे हैइस

आन्दोलन में हिस्सा लिया था। जब एमरजैन्सी डिक्लेयर हुई तो उनके नेतृत्व में हम लोगों ने भाग लिया । अध्यक्ष महोदय, उनका एक बड़ा भारी कन्ट्रीब्यु ान है आजादी के पहले भी और बाद में भी। जिस तरह से गान्धी जी ने नौजवानौ को प्रेरणा दी, इसी प्रकार जयप्रका ा जी ने नौजवानों को प्रेरणा दी। आजादी के प चात कुछ लोग मौकासनास हो गये, सिद्धान्तों को छोड़ गये लेकिन जय प्रका ा नारायण जी के अपने सिद्धांतों के कारण नौजवानो को प्रेरणा मिली। उन नौजवानो ने एक प्रदे ा में ही नहीं बल्किगुजरात, बिहार, हरियाणा तथा पंजाब में लुधियाना के अन्दर बड़ा भारी प्रद र्न किया और ताना ाही को ललकारा। हरियाणा में भी इसी तरह से उनके नेतृत्व में जलसे हुये जहां लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुये । आज वे लोग दूसरी तरफ कोचले गये है। वैसे इस मौके पर कुछ कहना उचित नहीं है क्योंकि यह एक भाोक प्रस्ताव है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी महापुरूश इस संसार से चले जाते है उनका नाम इतिहास मे रहता है। मैं तो सारे हाउस से यह निवेदन करूंगा कि जयप्रका ा जी के जीवन से कुछ सबक सीखें और उसको अपने जीवन में लायें।

इसी प्रकार से सरदास ज्ञान सिंह राड़ेवाला के बारे में भी कहना चाहता हं कि वे एक भाराफत के पुतले थे। वे हमारेसाथ भी मैंबर रहे। जब मैं पार्लियामैंट में चला गया तो वे यहां पर रहे। जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो वे एक भाराफत

के पुतले दिखाई देते थै। मास्टर गुरबन्ता सिंह जी भी बड़े इन्सान थे । उनका भी मुझे बड़ा भारी दुख हैं श्री ए0एम0 तारिक भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब मैं सन् 1957 से 1962 तक पार्लियामैंट की मैंबर रहा था तो वे कितनी ही दफा मुझ से सैन्ट्रल हाल में मिलते थे। वे अच्छे दे ा भक्त थे। उन्हे देश से सच्चे तौर पर प्यार था। मोलवी अब्दुल गनी डार जी एक ऐसे परिवार में पैदा हुये जिनका सारा परिवार ही स्वंतत्रता सैनानी था। वे पहले लुधियाना में रहा करते थेपरन्तु बाद में हरियाणा में आकर हरियाणा निवासी हो गये।उन्होने हरियाणा से लोकसभा का इलैक ान भी लड़ा और असैम्बली का भी लड़ा। वे राज्य सभी के भी मैंबर रहे थे, वे बड़े बहादुर इन्सान थे। जब पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों की दास कमी ान इन्क्वायरी कर रहा था तो सारे कागजात का इक्ट्ठा करना, वकीलों और गवाहों को पे ा करना उनका ही काम था। उस इन्कवायरी में उनका बड़ा भारी हाथ था। उस इन्क्वायरी कासारा केडिट श्री अब्दुल गनी डार को ही जाता है। इसी प्रकार से जब भारत के राश्ट्रपति श्रीगिरि का इलैक ान हुआ तो भी अब्दुल गनी डार ने ही इलैक ान पैटी ान की थी। उन्होने ही सब कुछ आर्गेनाइज किया था। यह बात दूसरी है कि वे कामयाब नहीं हूये। श्री ब्रजे वर प्रसाद जी भी पार्लियामैंट के मैम्बर थे। वे निहायत ही दे ा भक्त थे। प्रोफेसर राम सरण भी गान्धीवादी विचारधारा के थे और बड़े इन्सान थे। उनका भी मुझे बहुत ही निजी तौर पर अफसोस है।

इन तथा दूसरे महानूभावों के निधन पर जो भाोक प्रस्ताव पे ा हुआ है, उसमें मैं भाामिल होता हूं।

डा0मंगल सैन(रोहतक): अध्यक्ष महोदय, सदन में दिवंगत विभूतियों के प्रति जो भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गय है , उसका मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं।

स्पीकर साहब, इस सूची में सबसे उपर स्वर्गीय लोक नायक श्री जयप्रका ा नारायण जी का नाम है, जिनके जीवन के बारे में पहले भी काफी कुछ कहा जा चुका है। वे साधारण परिवार में जन्में लेकिन विदे ाों में ि ाक्षा प्राप्त करके आराम की जिन्दगी बसर कर सकते थे, सुख और चैन के साि जीवन काट सकते थे परन्तु भारत के करोडों गरीब लोगों के दुखें को वे देख ने सकै उन्होने उनकी आवाज को बुलन्द करने के लिए कांग्रेस में भी समाजवादी मंच तैयार किया । ओर उस समय समाजवादी व्यक्तियों को मिला कर ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा समुदाय दे ा में तैयार किया। आप सभी जानते है कि जिससमय स्वाधीनता की लड़ाई जड़ी जा रही थी तो उनमें से कुछ लोग तो भाान्ति के पुजारी थे और कुछ लोग क्रान्तिकारी विचारधारा के थे। उन क्रान्तिकारी लोगों में स्वर्गीय श्री जयप्रका ा नारयण जी भी थे। कई बार उनको बंदी बनाया गया। उनका बिहार की ऐसी भंयकर जेल में से कनल कर भागना बड़ा साहस का काम था। जिन लोगों ने जेल काटी है उन को ही इस बात का अनुभव है

कि जेल की एक कोठरी में जंजीरो से जकडे हुये बन्द रहना,उनको काट करफिर अहाते मे से निकल कर भागना और वह भी अंग्रेजों की हकुमत के समय में निकल कर भागना और फिर उसके बाद स्वाधीनता के आन्दोलन कार संचालन करना, एक बड़े साहसी व्यक्ति का ही काम है। जब वे पकड़े गये तो लाहौर के भााही किले में उनको प्रताड़ित किया गया। स्पीकर साहब, वे भारत के ऐसे सपूत थे जिन्होने भारत की जनात को स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया। स्वाधीनता मिलने के प चात जब लोगों ने पद संभाले तो उन्होने वहां से भी कूच किया। और वहां से चल कर वे विनोबा जीके भूदान आन्दोलन और ग्रामोन्दालन में भाामिल हो गये। सर्वोदय के माध्यम से समाज में नईचेतना का प्रयास कई द ाकों तक करते रहे। अध्यक्ष महोदय, जब उन्होने दखेा कि स्वाधीनता का अर्थ अनर्थ में लग रहा है,, समाज में बेचैनी है, भ्रश्टाचार का बोलबाला है, सत्ताधारी समाज का भाोशण कर रहे है तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होने सम्पूर्ण क्रान्ति कासंचालन किया ओर अपने आपको दे ा के समर्पित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, भारत के करोडो लोगों को उन्होने प्रेरित किया, जिसके कारण सत्ताधारी लोग कांप उठे। उनको 25 जून, 1975 को सुबह पकड़ करके हरियाणा के एक गांव में ले गये। फिर उन्हे एक रैस्ट हाउस में रखा गया। कुछ समय यहां चण्डीगढ़ में भी अस्पताल के एक बंद कमरे में रखा गया। ऐसे कमरे में उनको रखा गया जिस में रहना बड़ा मु कल है, जिस के अन्दर घुसते ही सांस घुटती है। यहीं पर उनके गुर्दे खराब किये गये। स्पीकर साहब, गुर्दे की

बीमारी ने उनकी जान ली। बीमारी की हालत में भी उन्होने सभी राजनैतिक दलों को मिला कर एक दल बनाया ताकि ताना ाही का डट कर मुकाबला किया जा सके। अन्त में उन्होने ताना ाही भाासन को बदला।

स्पीकर साहब, इतिहास में ऐसा ही लिखा जाना था कि एक दल बनने के बाद भी वह बिखर गया परन्तु उस आदमी के कार्यमें कोई कमी नहीं आई। 8 अक्तूबर, 1979 को सुबह 5 बज कर कुछ मिनट पर वह महान दे ाभक्त इस दुनियां से चला गया। स्पीकर साहब, मुझे भी उनके साथ जन–आन्दोलन को हरियाणा में प्रेरित करने का मौका मिला है। मुझे उनके साथ रहने के दो मौके प्राप्त हुये। एक मौका फरवरी , 1975 में आया था जब उन्होने पंजाब में घूमकर लोगों को प्रेरित किया था। स्पीकर साहब, उस महापुरूश ने भारत की जनता को स्वाधीनता प्राप्त करके दी थी और उसी महान पुरूश के नेतृत्व में दे ा की जनता में जागृति आई थी। मैं उस महान पुरूश के चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहता हूं। स्पीकर साहब, उस स्वर्गवासी ने जेल में सजा काटने पर भी किसी प्रकार का कोई क्लेम नही किया जैसे और लोग 5 महीने , एक साल,दो साल, या 6 साल जेल काटने के बाद करते है। वे स्वर्गीय जवाहर लाल जी और राश्ट्रपिता महात्मा गान्धी जी के साथ भी रहै। श्री जवाहर लाल नेहरू जी तो उनको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। उन्होने कभी राजमहलों में रहना स्वीकार नहीं किया। उन्होने हमे ाा झोपड़ियों में ही रहना

स्वीकार किया। स्पीकर साहब, उन्होने राजनीति को एक नया मोड़ दिया था उन्होने कभी भी दल नहीं बदल, सिंद्धात नहीं बदला। जिस मार्ग पर वे चले, उसी मार्ग पर चलते रहे। जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतो को नहीं बदला। हमें ऐसे महान पुरूश के बताये हुये रास्ते पर चलना चाहिये।

स्पीकर साहब, अभी कुछ हीसमय पहले हमारे माननीय विपक्ष के नेता श्री मूलचन्द जैन जी नेउनके बारे में काफी कुछ विस्तार में कहा हैं मुख्यमंत्री जी की तो मजबूरी थी और उन्होने ठीक फरमाया था कि किसी के जन्म और मरण की तिथि याद नहीं रहती। फिर भी मैं उनका आभारी हूं कि उन्होने उन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी है। उनके जीवनका परिचय कराया है। मैं भी अपने आप को इस श्रद्धांजलि में भाामिल करता हूं।

अब मैं उन महानुभावों से परिचित कराना चाहता हूं जो पंजाब विधान सभी में हमारे साथ रहे है, वे है सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला, सरदार गुरबन्ता सिंह और अब्दुल गनीडार। उन्होने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किये है। वे महापुरूपश हमारे साथ पंजाब में थे और बड़ी मजबूती के साथ उस समय के मुख्यमंत्री का डट कर मुकाबला किया करते थे। श्री मूलचन्द जैन जी ने ठीक कहा है कि श्री अब्दुल गनी डार ने उस समय के मुख्यमंत्री पर भ्रश्टाचार सिद्व करने के लिए आयोग के सामने सारी सामग्री प्रस्तुत की। वकीलों और गवाहों को तैयार करने के लिए उनकी आंखे भी जाती रही परन्तु फिर भी उन्होने कभी भी कोई संकोच

नहीं किया। इसी प्रकार श्री राड़ेवाला साहब का तो क्या कहना है? वे बहुत ही सज्जन, भद्र और बड़े अनुभवी पुरूश थे। मास्टर गुरबन्ता सिंह का संबधं तो हमे ाा अनुसुचित जाति तथा पिछड़ी हुई जातियों से रहा है। उन्होने बड़ी कु ालता के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। मजूमदार साहब भी भारत के बड़े महान इतिहासकार रहे हैं उनका नाम भी इस सूची में दर्ज है। भारत के लोगों को इन महान हस्तियेां पर बड़ा गर्व हैं संसार का यह नियम है कि हर आने वाले व्यक्ति को इस संसार से जाना होता है। मैं इस विधान सभा का सदस्य होने के नाते अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से इन महान दिंवगत आत्माओं को श्रद्धांजलि पे ा करता हूं। मैं पुनः यह प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की भाक्ति दे।

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है, उनके साथ मैं भी अपने आपको एसोि ाएट करता हूं।

लोक नायक जय प्रका ा नारायण जी के निधन से दे ा को एक ऐसी चोट पहूंची है जिसका पूरा होना बड़ा मुि कल है। वे वर्तमान काल की एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उन्होने स्वतंत्रता आन्दोलन में, भूदान आन्दोलन में तथा आजादी के बाद भी दे ा की सेवा के लिए जो काम किये वे बेमिसाल है। उनके कैरेक्टर की सबसे बड़ी बात यह थी कि उनको, जैसे कि और

साथियों ने कहा है, कई बार मौके मिले लेकिन उन्होने लालसा से परे हटकर कभी भी किसी चीज को हासिल करने की कोि ा ा नहीं की बल्कि सारे दे ा की सेवा करने का और गरीबों को उपर उठाने का आद र्ा अपने सामने रखा। उनका जीवन आने वाली सन्तानों के लिये एक मिसाल कायम करता है। कहने को तो मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी को ध्यान में रखते हूये मैं कट– ाार्ट ही करना चाहता हूं।

इन सभी महान हस्तियों ने दे ा के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोडी है और हम उनके निधन पर गहरा भाोक प्रकट करते है। मैं इस सदन की गहरी भावनाओं और हमदर्दी को भाोक जुदा परिवारों तक पहुचां दूंगा।

अब मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इन स्वर्गवासी नेताओ के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हम खडे होकर दो मिनट के लिये मौन धारण करें।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

(1) सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान, हरियाणा विधानसभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 58(1) के परन्तुक के अधीन मुझे हाउस को इन्फार्म करना है कि –

(ए) राव बीरेन्द्र सिंह ने दिनांक 7–1–1980 के अपने पत्र द्वारा हरियाणा विधान सभा में अपनी सीट से रिजाईन कर दिया है।

(बी) चौधरी देवी लाल ने दिंनाक 18–1–1980 के अपने पत्र द्वारा हरियाणा विधान सभी में अपनी सीट से रिजाईन कर दिया है।

(2) पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान, हरियाणा विधान सभी के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्डकन्टक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के अधीन मैं नीचे लिखे हुये मैंबर साहेबान को पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिये नौमिनेट करता हूं:–

(1) श्री के0एल0पोसवाल

(2) श्री प्रताप सिंह ठाकरान

(3) श्री ओमप्रका ा राणा तथा

(4) श्री राम कि ान बैरागी।

(3) कमेटी आन पैटी ान्ज

श्री अध्यक्षः साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज आफ प्रोसीजर एण्ड कन्टक्ट बिजनैस के रूल 286(1) के अधीन मैं फालोइंग मैंम्बर्ज को कमेटी आन पैटी ान्ज में कार्य करने के लिये नौमिनेट करता हूं :–

(1) कंवर विजय पाल सिंह (डिप्टी स्पीकर) एक्स औफि ियो चेयरमैन

(2) श्री ओम प्रका ा राणा

(3) श्री फतेह चन्द विज

(4) स्वामी आदित्यवे ा तथा

(5) चौधरी भाकरूल्ला।

सचिव द्वारा घोशणा

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान, अब सैक्रेटरी साहब कुछ अनाउंसमैंट करेगें।

1. राश्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों सम्बन्धी

सचिवः मैं उन बिलों को द र्ाने वाला विवरण जो हरियाणा विधानसभा ने अपने पिछले औटम(सितम्बर) से ान, 1979 के दौरान पास किये थे तथा जिन पर राश्ट्रपति/राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

स्टेटमैंट

1. The Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill, 1979.

2. The Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1979.

3. The IndianStamp (Haryana Amendment) Bill, 1979.

4. The Haryana Land Holding Tax (Amendment) Bill, 1979.

5. The East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill, 1979.

6. The Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill, 1979.

7. The Haryana Public Moneys (Recovery of Dues) Bill, 1979.

8. The Haryana Board of School Education (Amendment) Bill, 1979.

9. The Medical College Rohtak (Repealing) Bill, 1979.

10. The Haryana Housing Board (Amendment) Bill, 1979.

11. The PunhabKhadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill, 1979.

12. The Punjab Urban Immovable Property Tax (Haryana Repealing) Bill, 1979.

(2) संविधान (पैतालीसवां सं ाोधन) विधेयक 1980 के अनुसमर्थन

दस्तावेजों सम्बन्धी

सचिव : मैं संविधान(पैतालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1980 के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा से प्राप्त हुये निम्नलिखित दस्तावेजों की एक–एक प्रति सादर सदन की मेज पर रखता हूं:–

1. महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ पत्र दिनांक 28–1–1980,

2. लोकसभा में पुनः स्थापित रूप में संविधान (पैंतालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1980 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाशाओं में),

3. संसद के सदनो द्वारा पारित रूप में संविधान(पैंतालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1980 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाशाओं में),

4. विधेयक पर लोक सभा डिबेट्स , तथा

5. विधेयक पर राज्य सभा डिबेट्स।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

श्री अध्यक्षः साहेबान, मैं अब विभिन्न कार्यों के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत किये गये टाईम टेबल की रिपोर्ट पे ा करता हूं:–

''समिति की बैठक सोमवार, 3 मार्च, 1980 को 11बजे अग्र मध्याह्न अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

कुछ चर्चा के प चात समिति ने सिफारि ाकी कि सोमवार 3, मंगलवार, 4 बुधवार, 5 वीरवार, तथा भाुक्रवार 7 मार्च 1980 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाये :–

सोमवार 3 मार्च, 1980 (राज्यपाल महोदय के अभिभाशण के तुरन्त आधा घंटा बाद)

1. राज्यपाल के अभिभाशण की एक प्रति सदन की मेज पर रखना।

2. भाोक प्रस्ताव

3. सदन की मेज पर कागज–पत्र (अधिसूचनाएं, रिपोर्ट आदि) रखना/पुनः रखना।

मंगलवार, 4मार्च, 1980 (2.00 बजे मध्याह्न प चात)

1. प्र नोत्तर काल।

2. संसदके दोनों सदनो द्वारा पारित रूप में संविधान (पैंतालीसवां सं ाोधन) विधेयक,1980 के अनुसमर्थन सम्बन्धी सरकारी संकल्प।

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा।

बुधवार, 5 मार्च, 1980 (2 बजे मध्याहन प चात)

1. प्र नोत्तरकाल।

2. राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चर्चा का पुनरारम्भण।

वीरवार, 6मार्च, 1980 (2.00 बजे मध्याहन प चात)

1. प्र नोत्तर काल।

2. गैरसरकारी कार्य।

भाुक्रवार, 7 मार्च, 1980 (9.30 बजे प्रातः)

1. प्र नोतरकाल।

2. 1979–80 के अनुपूरक अनुमान तथा उन पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पे ा करना।

3. वर्श 1974–75 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे पे ा करना।

4. राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा का पुनरारम्भ्ण तथा ध्न्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि हरियाणा विधान सभा के आगामी सत्र के दौरान बजट पर सामान्य चर्चा के लिए दो बैठकों के स्थान पर चार बैठकें होगी और अनुदानों के लिए मांगों की चर्चा पर एक बैठक के स्थान पर दो बैठकें होगी।

स्थानीय भाासन मंत्री(चौधरी खुर ीद अहमद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि यह सदन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफ ारि ाों के साथ सहमत है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि यह सदन बिजनैस सडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट में दी गयी सिफारि ाों के साथ सहमत हूं।

श्री मूल चन्द जैन(सम्भालकां): स्पीकर साहब, यह मो ान आया है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट में दी गई सिफारि ें मान ली जायें। जहां तक इस बात के पहले हिस्से का सम्बन्ध है, हसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है। और मिनिस्टर साहब ने जो मो ान मूव किया है,मैं उसका समर्थन करता हूं।

लेकिन जहां तक इसके दूसरे हिस्से का ताल्लूक है कि बजट के उपर आम डिस्क ान के लिए दो की बजाये अब 4 सीटिंग्ज तक डिस्क ान चलेगी, मैं इस हिस्से पर अपनी यह बात रिकार्ड के लिए कहना चाहता हूं कि यह जो टाईम जनरल डिस्क ान आन बजट और स्पैसिफिक डिमांडज के लिए निर्धारित किया गया है , यह बहुत ही कम है। जनरल डिस्क ान आन दी बजट के वक्त तो जनरल सी बातें ही होती है, जैसे सेविंग्ज जयादा हों, वेस्टफुल एकसपैंडीचर न हो, टैक्से ान किस तरह की होनी चाहिये आदि आदि। इस बारे में अपोजी ान के और रूंलिग पार्टी के सारे मैंम्बर्ज अपने अपने विचार रखते है। परन्तु, जैसे एजुके ान है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है और ट्रांसपोर्ट है इनकी इम्प्रूवमैंट के लिए क्या क्या सजै ान्ज होनी चाहिये, यह जनरल डिस्क ान आन दी बजट में आम तौर पर नहीं आती है।

स्पीकर साहब, 1952 से 1957 तक जब मैं पंजाब असैम्बली का मैंबर था, वहां पर यह ट्रैडी ान था कि दो–दो दिन तक एक एक एब्जैक्ट पर डिस्क ान हुआ करती थी। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि सरकार इसबात को स्वीकार करे और डिमान्डज पर ज्यादा समय रखा जाये। इससे सरकार को भी काफी मदद मिलेगी। यहां पर काफी तजुर्बेकार मैंबर्ज हैऔर वे भी मेरी इस बात से सहमत होगें(व्यवधान)। यह जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाये या मिनिस्टर बन जाये तो सारी दुनियां

के अक्ल के टीके उसी में ही लग गये हों(ाोर एवं व्यवधान).....
..

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, आन ए प्वायट आफ आर्डर। स्पीकर साहब, जैन साहब ने यहां पर जो अक्ल के टीके की बात कही है, इनको इस तह का कोई ऐस्प ौन कास्ट नहीं करना चाहिये था, ये भाब्द अनपार्लियामेंटरी है (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, ये भाब्द कार्यवाही में से निकाल दिये जाने चाहिये (ाोर एवं व्यवधान).....

Mr. Speaker: Please sit down, Pholoo Sahib. Babuji, I would request you not to cast any personal aspersions (Interruptions).

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मैं अपने आपको भी इसमें भाामिल करता हूं। मैं भी जब मिनिस्टर था तब मेरे पर भी यह बात लागू होती थी। (विघन)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इसमें अक्ल की बात का क्या सम्बन्ध है। जैन साहब भी बिजनैस एडवाइजरी कमेटीकी मीटिगं में थे जब यह फैसला किया गया था।

श्री मूलचन्द जैन: स्पीकर साहब, मैने तो सिर्फ सुझाव के तौर पर यह कहा है कि ऐसे कामों के लिए और टाईम दे दिया जाना चाहिये ताकि हर डिमांड पर डिटेल्ड डिस्क ान हो सके। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मैंबर साहेबान, सभी से इसबारे में सुझाव पूछे गये थे । सुबह भी यह बात कंसिडर हुई हैं सब की सहमति के साथ यह रिपोर्ट रखी गई थी। इसके अलावा, भाुक्रवार को जो मीटिंग होगी उसमें इस बात पर गौर करेगें और जैसा सभी चाहेगें वैसा किया जायेगा अगर आप समय बढ़ाना चाहेगें तो बढ़ा देंगें।

श्री सुरेन्द्र सिंह(तो ाम): स्पीकर साहब, कल 4 तारीख को जो रेटीफिके ान के लिये बिल यहां पर डिस्क ान के लिए आ रहा है, उस पर डिस्क ान के लिए न तो टाईम स्पेसिफाई किया गया है और न ही गवर्नर साहब के ऐड्रेस के लिये कोई समय नि चत किया गया है। कि कितना टाईम रखा जायेगा (विघन).....

श्री अध्यक्षः इन सभी बातों के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में फैसला किया गया था। सभी पार्टीज के लीडर उसमें मौजूद थे। उन्होनें यह सारा फैसला किया था। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिएयह बता देता हूं कि इस बिल के लिए दो घन्टे का समय नि चत किया गया है।

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, यह जो मो ान हमारे सामने आया है इसके बारे में मेरा एक निवेदन है। बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मैं भी सदस्या हूं। जब यह रिपोर्ट बनी तो उसमें भाोक प्रस्ताव पर बोलने के लिए एक घन्टे का समय निर्धारित किया गया था। इन मो ांज को हम यहां

पर पास तो अव य करवा ही लेगें लेकिन हमें एक बात की तरफ अव य ध्यान देना चाहिये कि उस बैठक में यह तय हुआ था कि 3 बज कर 32 मिनट से 4 बजकर 30 मिनट तक भाोक प्रस्ताव पर बहस होगी परन्तु आपने 4 बजकर 5 मिनट पर ही बहस समाप्त कर दी। उसमें यह भी तय हुआ था कि सै ान आज 5.30 बजे से पहले ही समाप्त हो जायेगा (विघन) अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि सदन के और भी कई माननीय सदस्य है जिन्होने भाोक प्रस्ताव पर बोलना था, उनकी भी कुछ भावंनाये है। भाोक प्रस्ताव पर बोलने के लिये एक घण्टे का समय इसलिये दिया गया था कि सभी मैंबर साहेबान को उस पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया जायेगा। कुछ मैंबर इस पर बोलना चाहते थे, पर आपकी तरफ से उनको बोलने का अवसर ही नही दिया गया (विघन एवं भाोर)

Mr. Speaker: Please confine yourself to the report of the Business Advisory Committee. Do not refer to the obituary references at this stage. भाोक प्रस्ताव पर बहस समाप्त हो चुकी है। मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि भाोक प्रस्ताव के बारे में यहां पर अब जिक्र न किया जाये।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, तो फिर बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट का क्या फायदा? (ाोर एवं विघन) अध्यक्ष महोदय, मैं तो आप से मुखातिब हूं.....

Mr. Speaker: In the Business Advisory Committee meeting it was quite clearly said कि मिनट टू मिनट टाईम का हिसाब रखन इम्पोसीबल है। दो चार मिनट इधर या दो चार मिनट उधर भी हो सकते है। अगर बिजनैस एडवाईजरी कमेटी ने यह पास कर दिया कि 3.32 बजे यह काम भुरू होगा और 4.30 बजे यह काम खत्म होगा तो दो चार मिनट इधर उधर भी हो सकते है।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसबारे में रूल्ज भी दिखा सकती हूं। (ाोर एवं व्यवधान) भाोक प्रस्ताव पर अभी कुछ मैंबर बोलना चाहते थे.....

Mr. Spearker: Order please. Do not speak about the obituary regerences now and remain confined to the business before the House.

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि जो हमारे रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कन्डक्ट आफ बिजनैस है, उनके अनुसार टाईम अलाट किया जाये। बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में तो सभी मैंबर साहेबान का विचार था कि भाोक प्रस्ताव पर बोलने के लिए सदस्यों को एक घण्टे का समय मिलना चाहिये। (ाोर)

Mr. Speaker: That is my discretion and I have to see कि कैसे टाईम अलाट करना है। अगर मैं सभी मैंबर्ज साहेबान को बोलने का मौका देता तो इसमें काफी समय लग जाता। जो

पार्टी लीडर्ज थे उनको मैने बोलने के लिये काफी टाईम दिया। श्री जयनारायण वर्मा जी की मेरे पास बोलने के लिए रिकवैस्ट भी आई थी। क्योंकि उन का तो श्री जयप्रका ा नारायण जी से काफी सम्बन्ध रहा है। वह भी बोलना चाहते थे। उस पर एप्री ाएबली टाईम भी इंक्रीज हो जाता लेकिन समय का ध्यान रखते हुये मुझे भाोक प्रस्ताव पर डिस्क ान को कुछ मिनट पहले ही खत्मकरना पड़ा। आगे के लिये इस बारे में पूरा ध्यान रखा जायेगा और बहन सुशमा जी को सबसे पहले बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः प्र न है–

कि यह सदन बिजनैस एडवाईजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों के साथ सहमत हूं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र

श्री अध्यक्षः अब मैं मन्त्री महोदय से रिक्वैस्ट करूंगा कि वेसदन की टेबल पर कागज–पत्र रखें।

Local Government Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to lay on the table:-

The Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1979. (Haryana Ordinance No. 10 of 1979).

The Maharishi Dayanand University (Amendment) Ordinance, 1979. (Haryana Ordinance No. 11 of 1979).

श्री जय नारायण वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि सदन में यह माना गया था कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव रखा जायेगा वह हिन्दी में ही रखा जायेगा। इसलिये मेरा आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन है कि इस तरह के कागज –पत्र हिन्दी में ही पढ़े जाने चाहियें (व्यवधान)

आवाजें: बाकी के कागज–पत्र पढ़े हुये तथा ले किये हुये समझे जाएं।

Mr. Speaker: If this is the sense of theHouse, then the Hon'ble Minister may lay/re-lay the remaining papers together.

Chaudhri Khurshid Ahmed: Sir, the following papers be deemed to have been read and laid on the Table-

The Punjab Prohibition of Cow Slaughter (Haryana Amendment) Ordinance,1979. (Haryana Ordinance No. 12 of 1979).

The 11th Annual Report and Accounts of the Haryana State Industrial Development Corporation for the year 1977-78, as required under Section 619-A(3) of the companies Act, 1956.

The Annual Audit Report of Haryana Agricultural University for the year 1977-78, as required under Sec. 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act, 1970.

The General Administration Deptt. Notification No. G.S.R. 126/H.A.9/79.S.8/79, dated 28.11.1979 regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Rules, 1979, as required under section 8(3) ofthe Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

A copy each of the following Notifications of the Transport Department Haryana ,Containing amendments in the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, as Required under Section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939;

(i) Notification No. GSR.74/CA.4/39/Ss.24 and 41/79, dated 3.8.1979.

(ii) Notification No. GSR. 86/CA.4/39/S. 111A/Amd. (7)/79, Dated 10.8.1979.

(iii) Notification No. GSR. 84/CA.4/39/Ss.24 and 41/Amd. (8)/79 dated 10.8.79.

(iv) Notification No. GSR 115/CA.4/39/Ss.24 and 41/Amd. (11)/79 dted the 29th October, 1979.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R.7/H.A. 20/73/S.64/Add. (1)/80, dated the 24th January, 1980, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1980; as required under Section 64(3) of Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R.9/H.A. 20/73/S.64/Add. (1)/80, dated the 29th January, 1980, regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment) Rules, 1980; as required under Section 64(3) of Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Education and Languages Department Notification No. 10/81/78-Edu.1(3) dated the 25th January, 1980, issued under section 3, 4 and 5 of the Haryana Official Language Act, 1969, as Required under section 7 of the Act Ibid.

The Annual Financial Statement (Budge Estimates) for 1979-80 of the Haryana State Electricity Board, as required under Section 61(3) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

The 10th Annual Statement of Accounts of the Haryana state Electricity board for 1976-77, as required under section 75 (IA) of the Electricity (supply) Act, 1948.

The Report by Justice Gurnam Singh, Commission of Inquiry, relating to the strike and unrest in the Medical College, Hospital and other attached institutions and the Maharishi Dayanand University Rohtak, as required under section 3(4) of theCommission of Inquiries Act, 1952.

The Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the year 1978-79, as required under Article 323(2) of the Constitution of India.

सदन की मेज पर पूनः रखे गए कागज–पत्र

Local Governments Minsiter(Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, the following papers be deemed to have been re-laid on the Table of the House-

The Excise and Taxation Department Notification No G.S.R. 42/H.O.2/79/S.20/79, dated the 3rd May, 1979, regarding Rules framed under the Haryana Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Ordinance, 1979, as required under section 20(2) of the Haryana Ordinance No. 2 of 1979.

The Revenue Deptt. Notification No. GSR. 33/H.A.26/72/S.31/Amd. (1)/79, dated the 12th April, 1979, regarding the Haryana Ceiling on Land Holdings (First Amendment) Rules, 1979, as requiredunder Section 31(2) ofthe Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972.

A Copy each of the following Notifications of the Transport Department, Haryana, Containing amendments in the Punjab Motor Vehicles rules, 1940, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939:-

(i) Notification No. GSR18/CA-4/39/S.41/Amd (1)/79, dated 23.2.1979.

(ii) Notification No. GSR23/CA-4/39/Ss.24 and41/Amd (2)/79, dated 23.2.1979.

(iii) Notification No. GSR29/CA-4/39/Ss.24 and41/Amd (3)/79, dated 23.2.1979.

(iv) Notification No. GSR32/CA-4/39/Ss 24 and.41/Amd (4)/79, dated 12.4.1979.

(v) Notification No. GSR36/CA-4/39/Ss 24 and 41/Amd (5)/79, dated 20.4.1979.

The General Administration Department's Notifications Nos. (i) G.S.R.91/Const/Art.320/Amd(3)/78, dated the 24th August, 1978 and (ii) G.S.R.53/Const/Art.320/Amd(1)/79, dated the 25th May, 1979, regarding amendments in the Haryana Public Service Commission (Limitation Of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

A copy of Administration of Justice Department Notification No. G.S.R. 64/H.A9/75/S.18/79, dated the 7th July, 1979, regarding the Haryana Requistioniong and Acquisition of Movable Property Rules, 1979, as required under Section 18(2) of the Haryana requisitioning and Acquisition of Movable Property Act, 1975.

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सदन कल दिनांक 4.3.1980, 2 बजे बाद दोपहर तक के लिये एडजर्न किया जाता है।

16:24 Hours

The Sabha then *adjourned till 14.00 hrs. on Tuesday, the 4th March 1980).